रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-23032024-253349
CG-TL-E-23032024-253349

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2024/चैत्र 2, 1946
No. 205] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2024/CHAITRA 2, 1946

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 20 मार्च, 2024

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/9/203/2024.—बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 3, 3ए, 6, 114ए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धाराओं 14, 26 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, निम्नलिखित विनियम बनाता है—

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रयोज्यता:

i. ये विनियम "भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024" कहलाएँगे।

ii. ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

iii. इन विनियमों की समीक्षा प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार की जाएगी, जब तक इसके पूर्व किसी समीक्षा, निरसन अथवा संशोधन की आवश्यकता न हो।

2. उद्देश्यः

भारत में पुनर्बीमा बाजार की सुव्यवस्थित वृद्धि को बढ़ावा देना, भारत में पुनर्बीमा परिचालनों में लगी हुई या लगी रहने की इच्छुक संस्थाओं को नियंत्रित करनेवाले विभिन्न पहलुओं से संबंधित वर्तमान कानूनी और विनियामक ढाँचे को मजबूत करना और सुसंगत बनाना।

3. परिभाषाएँ :

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

1. "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

2. "आवेदक" से अभिप्रेत हैः

   (क) लायड्स को छोड़कर पुनर्बीमा व्यवसाय में लगी हुई कोई अन्य विदेशी संस्था;

   (ख) लायड्स के सदस्यों की ओर से लायड्स की सोसाइटी, इसके बाद "लायड्स" के रूप में उल्लिखित;

   (ग) सेवा कंपनियों और व्यवसायसंघों (सिंडिकेट) की ओर से लायड्स इंडिया

   जो भारत में शाखा कार्यालय परिचालित करने के लिए पंजीकरण प्राप्त करने का इच्छुक है।

3. "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

4. "विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय" अथवा "विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा", जो इन विनियमों में इसके बाद प्रथमाक्षर एफआरबी के रूप में कहलाता है, से लायड्स इंडिया सहित आवेदक की शाखा अभिप्रेत है जिसे पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;

5. "बोर्ड" से इन विनियमों के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत है-

   एफआरबी का निदेशक बोर्ड अथवा अपने आवेदक के निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् प्राधिकृत एफआरबी की कार्यकारी समिति;

6. "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है

   (क) अध्यक्ष अथवा

   (ख) ऐसा पूर्णकालिक सदस्य या पूर्णकालिक सदस्यों की ऐसी समिति या प्राधिकरण का (के) ऐसा(ऐसे) अधिकारी जैसा(जैसे) कि अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है (किये जा सकते हैं) ।

7. "कवरधारक" से एक बाध्यकारी प्राधिकार करार की शर्तों के अनुसार लायड्स के सदस्यों और व्यवसायसंघों के द्वारा जोखिम-अंकित पुनर्बीमा संविदाएँ करने के लिए लायड्स के प्रबंध एजेंट द्वारा प्राधिकृत संस्था अभिप्रेत है।

8. "लायड्स इंडिया" से आवेदक का शाखा कार्यालय अभिप्रेत है जिसे पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

   लायड्स इंडिया के घटकों में शामिल हैं :

   (क) लॉयड के सदस्य, सामूहिक तौर पर बने हुए

   (ख) सिंडिकेट, जो लायड्स इंडिया के अंदर स्थित

   (ग) सेवा कंपनियों को प्राधिकार प्रत्यायोजित करते हैं

9. "प्रबंध एजेंट" से वह कारपोरेट संस्था अभिप्रेत है जिसे व्यवसाय संघ (सिंडिकेट) का प्रबंध करने तथा लायड्स के सदस्यों की ओर से जोखिम-अंकन और अन्य कार्य करने के लिए अनुमति दी गई है;

10. "लायड्स इंडिया के सदस्य" से लायड्स के वे सदस्य अभिप्रेत हैं जो लायड्स इंडिया में सहभागिता करना चाहते हैं;

11. "निवल स्वाधिकृत निधि" अथवा "एनओएफ" में निम्नलिखित शामिल होंगे

   (क) प्रदत्त ईक्विटी पूँजी

(ख) निर्बंध आरक्षित निधियाँ

(ग) प्रतिभूति प्रीमियम खाता राशि जो निम्नलिखित के द्वारा घटाई जाती है:

(i) संचित हानियाँ,

(ii) तथा अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य

निवल स्वाधिकृत निधि की संगणना अंतिम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर की जानी चाहिए जो आवेदन की तारीख से बारह (12) महीने से अधिक पहले का न हो तथा तुलन-पत्र की तारीख के बाद जुटाई गई किसी भी पूँजी को एनओएफ की संगणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए;

12. "लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियाँ" से भारत में पंजीकृत और निम्नलिखित के द्वारा प्रवर्तित सेवा कंपनियाँ अभिप्रेत हैं:

क) लायड्स के प्रबंध एजेंट; अथवा

ख) लायड्स के प्रबंध एजेंटों या सदस्यों की ऐसी समूह संस्थाएँ जैसी कि लायड्स द्वारा अनुमत की जा सकती हैं; अथवा

ग) भारतीय कंपनियाँ जो विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करती हैं

13. "लायड्स इंडिया के व्यवसायसंघ" (सिंडिकेट) से लायड्स के व्यवसायसंघ (सिंडिकेट) अभिप्रेत हैं जो प्रत्यायोजित प्राधिकार व्यवस्था से युक्त सेवा कंपनी के माध्यम से लायड्स इंडिया में सहभागिता करना चाहते हैं।

14. इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु अधिनियम अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41), उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II

विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाओं, व्यवसायसंघों तथा लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियों का पंजीकरण

4. आवेदकों की पात्रता:

1. इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक नीचे विनिर्दिष्ट रूप में पात्रता के मानदंडों को पूरा करेगा:

(क) आवेदक ने प्राधिकरण के पास आवेदन फाइल करते समय स्वदेश के विनियमनकर्ता से पूर्व-अनुमोदन अथवा सिद्धांततः अनुमति प्राप्त की है। लायड्स के व्यवसायसंघ लायड्स लंदन की सोसाइटी से अनुमति प्राप्त करेंगे;

(ख) आवेदक एक ऐसे अधिकार-क्षेत्र या देश में व्यवसाय की संबंधित श्रेणी में विनियामक परिवेश में पंजीकृत किया जाएगा अथवा प्रमाणित किया जाएगा जिसके साथ भारत सरकार ने दोहरे कराधान परिवर्जन करार पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ग) आवेदक की निवल स्वाधिकृत निधि आवेदन करते समय पाँच हजार करोड़ रुपये की विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी;

(घ) आवेदक के पास आवेदन की तारीख से पहले कम से कम 3 वर्ष के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से प्राप्त अच्छी वित्तीय सुरक्षा विशिष्टताएँ निर्दिष्ट करनेवाली एक न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग होगी।

(ङ) आवेदक कम से कम 10 वर्ष के लिए पुनर्बीमा व्यवसाय में रहा हो।

(च) आवेदक के पास स्वदेश के विनियमनकर्ता द्वारा निर्धारित रूप में शोधन-क्षमता मार्जिन हो।

(छ) आवेदक लायड्स इंडिया में एक सौ करोड़ रुपये की तथा अन्य स्थितियों में पचास करोड़ रुपये की न्यूनतम समनुदेशित पूँजी लगायेगा।

(ज) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य अपेक्षा।

2. इन विनियमों के अंतर्गत आवेदक पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि आवेदक का:

i. पंजीकरण के आवेदन के हेतु माँग-पत्र की तारीख से पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदनपत्र अस्वीकृत किया गया हो अथवा आवेदक के द्वारा वापस लिया गया हो; अथवा

ii. पंजीकरण के लिए आवेदन हेतु माँग-पत्र की तारीख से पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय पंजीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया हो अथवा आवेदक के द्वारा वापस लिया गया हो; अथवा

iii. पिछले तीन वर्षों में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया गया है अथवा आवेदक द्वारा अभ्यर्पित किया गया है।

3. जहाँ कोई 'आवेदक' किसी ऐसे `समूह' का भाग है जो पहले से ही भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत संस्था है, वहाँ वह इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि लायड्स के ऐसे व्यवसायसंघ (सिंडिकेट) और सेवा कंपनियाँ जिनकी पहले से ही भारत में उपस्थिति नहीं है, वे इन विनियमों के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पात्र होंगी।

स्पष्टीकरणः शब्द `समूह' का अर्थ वही होगा जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 में इसके लिए निर्धारित किया गया है।

5. एफआरबी और लायड्स इंडिया के पंजीकरण की प्रक्रियाः

1. **पुनर्बीमा व्यवसाय की अनुमति-योग्य श्रेणियाँ:**

पुनर्बीमा व्यवसाय की श्रेणियाँ जिनके लिए पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, निम्नलिखित हैं :

(क) जीवन और/या साधारण और/या स्वास्थ्य पुनर्बीमा व्यवसाय; या

(ख) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य श्रेणियाँ।

2. **आर1 आवेदन के लिए माँग-पत्र**

(क) लायड्स इंडिया को छोड़कर, अपनी शाखा के द्वारा भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करने का इच्छुक कोई भी आवेदक, पंजीकरण के आवेदन के लिए एक माँग-पत्र प्रस्तुत करेगा। सक्षम प्राधिकारी फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1 के निर्गम के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और अपने संतोष के अनुरूप संगत समझे गये विषयों की जाँच करने के बाद, आवेदक को फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1 जारी करेगा। उक्त फार्म तीन महीने की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जिसके अंदर आवेदक विधिवत् भरा गया फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1 प्राधिकरण को विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी लिखित में कारण दर्ज करने के द्वारा तीन महीने तक फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1 की विधिमान्यता की अवधि बढ़ा सकता है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी लिखित में कारण दर्ज करने के द्वारा फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1 के निर्गम के लिए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

3. **आर1 आवेदनः**

(क) विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1 में प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज, शपथ-पत्र, वचन-पत्र और घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाएँगे जो कि इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

(ख) सक्षम प्राधिकारी अनुसूची I के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में संगत समझे गये विषयों की जाँच करने के बाद तथा इस बात से संतुष्ट होने पर किः

i. फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1 में आवेदन सभी प्रकार से संपूर्ण और सही है तथा उसमें अपेक्षित सभी दस्तावेज उसके साथ प्रस्तुत हैं;

ii. आवेदक का शाखा कार्यालय अथवा लायड्स इंडिया, जैसी स्थिति हो, पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में सभी कार्य संचालित करेगा;

iii. संस्था के बहिर्नियमों और संस्था के अंतर्नियमों की एक प्रमाणित प्रति अथवा तदनुरूपी दस्तावेज जिसमें उसके व्यवसाय के निर्माण का तरीका और संचालन का विवरण दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है;

iv. भारत में परिचालनों के प्रभारी के रूप में प्रस्तावित व्यक्ति का नाम, पद, पता और व्यवसाय शामिल किये गये हैं;

v. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली समनुदेशित पूँजी लगाने के विषय में निर्दिष्ट करते हुए एक वचन-पत्र प्रस्तुत किया गया है;

vi. पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र फाइल करने के वर्ष से पूर्ववर्ती पिछले पाँच वर्षों के लिए आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है;

vii. मूल देश के विनियमनकर्ता से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है कि आवेदक के पास भारत में शाखा कार्यालय खोलने के लिए आवश्यक अनुमति है;

viii. आवेदक से चुकौती का आश्वासन पत्र (लेटर आफ कम्फर्ट) जो उसके निदेशक बोर्ड अथवा प्रबंधन की कार्यकारी समिति, जैसा लागू हो, से प्राप्त संकल्प द्वारा समर्थित है कि वह हर समय शाखा कार्यालय की सभी देयताएँ पूरी करेगा, प्रस्तुत किया गया है;

ix. इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की किसी भी मान्यताप्राप्त पद्धति के द्वारा फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1 के प्रसंस्करण के लिए लागू करों के साथ, पाँच लाख रुपये के वापस न करने योग्य भुगतान के समर्थन में सबूत प्रस्तुत किया गया है;

x. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई भी अन्य अपेक्षा पूरी की जाएगी;

उपर्युक्त अनुमोदन पत्र में विनिर्दिष्ट की जानेवाली शर्तों के अधीन पंजीकरण (फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1) के लिए आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

आवेदक को पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म आईआरडीएआई/आर2 ऐसे फार्मेट में जारी किया जाएगा जैसा कि उपर्युक्त अनुमोदन पत्र के साथ समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ग) आर1 अनुमोदन तीन महीने की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जिसके अंदर आवेदक विधिवत् भरा गया फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर2 प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट होने के उपरांत, तीन महीने तक आर1 अनुमोदन की विधिमान्यता को बढ़ा सकता है।

(घ) सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों के अध्याय III के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन (फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1) को अस्वीकार कर सकता है।

4. **आर2 आवेदन**

(क) आवेदक जिसका पंजीकरण हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया हो, भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर2 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत किये जाएँगे:

i. पचास करोड़ रुपये की न्यूनतम समनुदेशित पूंजी होने के साक्ष्य का दस्तावेजी प्रमाण;

बशर्ते कि लायड्स इंडिया के मामले में, न्यूनतम समनुदेशित पूँजी सौ करोड़ रुपये होगी।

ii. आवेदक के निदेशक बोर्ड अथवा प्रबंधन की कार्यकारी समिति, जैसी स्थिति हो, द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा यह प्रमाणित करते हुए एक शपथ-पत्र कि समनुदेशित पूँजी की अपेक्षाएँ पूरी की गई हैं;

iii. यह प्रमाणित करते हुए आवेदक द्वारा एक शपथ-पत्र कि अधिनियम की धारा 6(2) की इस आशय की अपेक्षाएँ कि आवेदक की निवल स्वाधिकृत निधि पाँच हजार करोड़ से अधिक है, पूरी की गई हैं;

iv. एक व्यवसायी सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट) अथवा एक व्यवसायी कंपनी सचिव से यह प्रमाणित करते हुए प्राप्त प्रमाणपत्र कि समनुदेशित पूँजी और अधिनियम एवं इन विनियमों की अन्य अपेक्षाओं का आवेदक द्वारा पालन किया गया है;

v. इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की किसी भी मान्यताप्राप्त पद्धति के द्वारा फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर2 के प्रसंस्करण के लिए लागू करों के साथ पाँच लाख रुपये के वापस न करने योग्य शुल्क के भुगतान के समर्थन में सबूत;

vi. पंजीकरण हेतु आवेदन के प्रसंस्करण के दौरान प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

(ग) प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के संबंध में विचार करने के लिए एफआरबी अथवा लायड्स इंडिया के माध्यम से आवेदक के द्वारा पुनर्बीमा का व्यवसाय करने से संबंधित सभी विषयों तथा अनुसूची I के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विषयों का ध्यान रखेगा। प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि—

i. फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर2 में आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तथा उसमें अपेक्षित सभी दस्तावेज उसके साथ प्रस्तुत हैं;

ii. आवेदक विनिर्दिष्ट किये जानेवाले रूप में पुनर्बीमा व्यवसाय करेगा;

विनिर्दिष्ट की जानेवाली शर्तों के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन (फार्म आईआरडीए/पुनरबीमा/आर2) को अपने विवेकानुसार स्वीकार कर सकता है और उसका अनुमोदन कर सकता है।

(घ) प्राधिकरण इन विनियमों के अध्याय III के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन (फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर2) को अस्वीकार कर सकता है।

6. पंजीकरण प्रमाणपत्र (आर3) प्रदान करना:

1. प्राधिकरण उचित समझे गये रूप में जाँच करेगा कि :

(क) आवेदक पात्र है, और वह अधिनियम के अंतर्गत लागू किये गये दायित्वों को प्रभावी रूप से वहन कर सकता है;

(ख) आवेदक की वित्तीय स्थिति और प्रबंधन का सामान्य स्वरूप सुदृढ़ हैं;

(ग) संभावित रूप से आवेदक को उपलब्ध होनेवाले व्यवसाय की मात्रा और उसके अर्जन की संभावनाएँ पर्याप्त होंगी;

(घ) यदि आवेदन में विनिर्दिष्ट पुनर्बीमा व्यवसाय की श्रेणी के संबंध में आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है तो जनसाधारण के हितों का संरक्षण किया जाएगा और यह बीमा क्षेत्र की समग्र वृद्धि और विकास के लिए योगदान करेगा।

2. उपर्युक्त एवं अनुसूची I के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट विषयों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण अपने विवेकानुसार विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय के रूप में आवेदक को पंजीकृत करेगा जिसके लिए आवेदक उपयुक्त पाया जाता है तथा फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर3, जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, में एक प्रमाणपत्र आवेदक को प्रदान करेगा।

3. आवेदक एक निरंतर आधार पर "योग्य और उपयुक्त" (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड का अनुपालन करेगा।

7. अनुमोदन को नियंत्रित करनेवाली शर्तें

आवेदकों के शाखा कार्यालयों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने पर विचार करते समय प्राधिकरण निम्नलिखित शर्तें निर्धारित करेगाः

1. आवेदक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के समर्थन में आवेदक के निदेशक मंडल अथवा आवेदक के प्रबंधन की कार्यकारिणी समिति, जैसी स्थिति हो, के संकल्प की एक विधिवत् प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा।

2. शाखा कार्यालय जोखिमों का अंकन करने, पालिसी सेवाएँ देने तथा दावों का निपटान करने के लिए सक्षम होगा;

बशर्ते कि लायड्स इंडिया के मामले में, लायड्स के सदस्यों की ओर से जोखिमों का अंकन और दावों का निपटान लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियों और व्यवसायसंघों (सिंडिकेट) के द्वारा किया जाएगा;

3. लायड्स की सोसाइटी लायड्स इंडिया स्थापित करेगी, जिसे इन विनियमों में निर्धारित तरीके से भारत के अंदर और भारत के बाहर पुनर्बीमा व्यवसाय संचालित करने के लिए एक बाजार और संबद्ध संरचनाएँ स्थापित करने हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा;

4. न्यूनतम समनुदेशित पूँजी का निवेश भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के अनुसार किया जाएगा;

5. आवेदक का शाखा कार्यालय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 तथा ऐसे कार्यालय के परिचालनों को नियंत्रित करनेवाले प्रचलित किसी भी अन्य कानून की अपेक्षाओं का पालन करेगा।

6. शाखा कार्यालय अपने परिचालनों में बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999, नियमों, विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आदि का अनुसरण करेगा।

7. शाखा कार्यालय अपने परिचालनों में बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999, उनके अधीन जारी किये गये नियमों, विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों तथा लागू ढाँचे का अनुपालन करेगा।

8. लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी का पंजीकरण

(1) **लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियाँ स्थापित करने के लिए मानदंड**

विनियम 3(12) में उल्लिखित रूप में पात्र प्रवर्तक जो लायड्स इंडिया में सहभागिता करना चाहते हैं, निम्नलिखित मानदंडों के साथ एक सेवा कंपनी स्थापित करेंगे:

(क) उक्त सेवा कंपनी पाँच लाख रुपये की प्रदत्त पूँजी से युक्त एक निजी अथवा सरकारी सीमित कंपनी हो और भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत हो।

(ख) संस्था के बहिर्नियमों (एमओए) के मुख्य उद्देश्य उन व्यवसायसंघ (व्यवसायसंघों) को जिसका/जिनका वे प्रतिनिधित्व करती हैं, समस्त तकनीकी, जोखिम-अंकन, बाध्यकारी जोखिम, दावों का निपटान, प्रशासनिक, लेखांकन, निवेश, विनियामक और अन्य सहायता उपलब्ध कराना होगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण ऐसे मुख्य उद्देश्य विनिर्दिष्ट कर सकता है जिन्हें सेवा कंपनी के एमओए/ एओए में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ग) सेवा कंपनी उस व्यवसायसंघ की ओर से जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है, समस्त सांविधिक और विनियामक फाइलिंग और अनुपालनों के लिए उत्तरदायी होगी।

(घ) सेवा कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड के अधीन होगा तथा सक्षम प्राधिकारी के पूर्व-अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।

(ङ) कोई भी अन्य अपेक्षा जो समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

(2) **पंजीकरण के लिए प्रक्रिया**

(क) विनियम 3(12) में उल्लिखित रूप में पात्र प्रवर्तक जो लायड्स इंडिया में पुनर्बीमा का जोखिम-अंकन करने के लिए एक सेवा कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, समय-समय पर विनिर्दिष्ट रूप में और विनिर्दिष्ट तरीके से लायड्स इंडिया के माध्यम से प्राधिकरण को एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(ख) सेवा कंपनी पंजीकरण के लिए अपने आवेदन में उन व्यवसायसंघ (व्यवसायसंघों) (सिंडिकेट) के नाम निर्दिष्ट करेगी जिनका प्रतिनिधित्व वह लायड्स इंडिया में करती है अथवा नहीं करती।

(ग) लायड्स इंडिया के लिए सेवा कंपनी के पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ लागू करों के साथ एक लाख रुपये का वापस न करने योग्य आवेदन शुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) **लायड्स इंडिया के लिए सेवा कंपनी द्वारा भरे जानेवाले वचन-पत्र**

(क) सेवा कंपनी पंजीकरण के लिए अपने आवेदन के साथ लायड्स सेवा कंपनी वचन-पत्र भी भरेगी जिसके द्वारा सेवा कंपनी लायड्स तथा स्थानीय विधिक, राजकोषीय, कराधान और विनियामक प्राधिकरणों के सभी संबंधित नियमों और अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करेगी।

(ख) सेवा कंपनी पंजीकरण के लिए अपने आवेदन के साथ लायड्स का कवरहोल्डर निर्णय पत्र भी भरेगा जो निम्नलिखित सहित, प्रस्तावित सेवा कंपनी के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराता है।

(i) सेवा कंपनी को प्रदत्त जोखिम-अंकन और दावों के प्राधिकार का स्तर,

(ii) सेवा कंपनी के लिए व्यवसाय की कार्यनीति,

(iii) सेवा कंपनी में परिचालनरत प्रधान स्टाफ से संबंधित विवरण,

(iv) वित्तीय सूचना,

(v) व्यावसायिक क्षतिपूर्ति का विवरण,

(vi) सेवा कंपनी के द्वारा जोखिम-अंकन किये जानेवाले व्यवसाय की श्रेणियाँ,

(vii) पंजीकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सेवा कंपनी के द्वारा अपनाया जानेवाला दृष्टिकोण,

(viii) प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन लायड्स द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली अन्य अपेक्षाएँ।

(ग) उक्त निर्णय-पत्र भरने के बाद, सेवा कंपनी लायड्स द्वारा जारी किए गए "व्यवसाय करने के सिद्धांतों" के आधार पर लायड्स सेवा कंपनी का स्व-निर्धारण निष्पादित करेगी जिसमें ऐसी सूचना शामिल है जैसे सेवा कंपनी के संबंध में की गई कोई आंतरिक लेखा-परीक्षा।

(घ) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य अपेक्षा।

(4) **लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियों को नियंत्रित करनेवाली शर्तें**

(क) लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियाँ लायड्स इंडिया के द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन होंगी।

(ख) सेवा कंपनियाँ सेवा कंपनी जोखिम-अंकन करार करेंगी, जो एक ऐसी संविदा है जो संबंधित व्यवसायसंघों के सदस्यों से सेवा कंपनी को प्राधिकार प्रत्यायोजित करती है।

(ग) 'सेवा कंपनी जोखिम-अंकन करार' के अधीन लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी:

(i) लायड्स के सदस्यों की ओर से बाध्यकारी बीमे और उनमें किये गये संशोधन;

(ii) लायड्स के सदस्यों की ओर से पुनर्बीमाकृत से प्रीमियम प्राप्त करने और धनवापसी का भुगतान करने तथा पुनर्बीमाकृत को आगे भेजने से पहले दावों की धनराशि प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कार्य करना;

(iii) व्ययों का प्रबंध और नियंत्रण;

(iv) जोखिम-अंकन स्टाफ का नियोजन;

(v) कुशल तरीके से पुनर्बीमा व्यवसाय संचालित करने के लिए लायड्स इंडिया के द्वारा उसे सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

(घ) सेवा कंपनी निम्नलिखित कार्य करेगी:

(i) बीमा की संविदाओं के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों, पृष्ठांकन और ऐसे अन्य दस्तावेज जारी करना जैसा कि जोखिम-अंकनकर्ताओं के द्वारा लिखित में सहमति व्यक्त करते हुए कवर के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाते हों;

(ii) जोखिम-अंकनकर्ताओं की ओर से प्रीमियम और वापसी प्रीमियम संगृहीत करना और उनका प्रसंस्करण करना;

(iii) यदि प्राधिकृत की गई हो, तो दावों को संभालना और/या दावों का निपटान करना;

(iv) जिन व्यवसायसंघों का वह प्रतिनिधित्व करती है उनके नाम का प्रयोग प्रमुख रूप से करेगी तथा यह कि वे केवल व्यवसायसंघों की क्षमता में अंकित कर रही हैं और स्वयं बीमाकर्ताओं के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं;

(v) स्थानीय प्रतिभा का कौशल-विकास और क्षमता निर्माण;

(vi) भारत को एक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) के रूप में बनाने के लिए प्रयास करना;

(vii) फेमा और अन्य स्थानीय कानूनों का अनुपालन करना;

(viii) लायड्स इंडिया के द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना;

(ix) अधिनियम, प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करना;

(x) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली किसी अन्य अपेक्षा का अनुपालन।

9. लायड्स इंडिया के व्यवसायसंघों (सिंडिकेट) का पंजीकरण:

(1) **पंजीकरण की प्रक्रिया**

लायड्स के व्यवसायसंघ (सिंडिकेट) जो लायड्स इंडिया में सेवा कंपनी के द्वारा पुनर्बीमा का जोखिम-अंकन करना चाहते हैं, सेवा कंपनी के साथ प्राधिकरण को लायड्स इंडिया के माध्यम से विनिर्दिष्ट फार्मेट में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) **लायड्स इंडिया में व्यवसाय संघ (सिंडिकेट) के रूप में परिचालन करने के लिए अनुमोदन को नियंत्रित करने वाली शर्तें**

(क) प्रत्येक व्यवसायसंघ सेवा कंपनी के माध्यम से हर समय पाँच करोड़ रुपये की समनुदेशित पूँजी का अनुरक्षण करेगा।

(ख) व्यवसायसंघ, सेवा कंपनी जोखिम-अंकन करार करेंगे, जो एक ऐसी संविदा है जो संबंधित व्यवसायसंघों के लायड्स के सदस्यों से सेवा कंपनी को प्राधिकार प्रत्यायोजित करती है।

(ग) लायड्स इंडिया के व्यवसायसंघ सुनिश्चित करेंगे किः

(i) पुनर्बीमा व्यवसाय का प्रबंध सेवा कंपनी के माध्यम से लायड्स इंडिया के सदस्यों की ओर से किया जाएगा;

(ii) व्यवसायसंघों के सदस्य पुनर्बीमाकृत के साथ संविदा करेंगे;

(iii) प्रीमियमों की वसूली व्यवसायसंघ के स्तर पर की जाएगी तथा उन्हें उस व्यवसायसंघ के लिए धारित प्रीमयम न्यास में रखा जाएगा;

(iv) जावक पुनर्बीमा का स्थानन और वसूलियों का संग्रहण व्यवसायसंघ के स्तर पर किया जाएगा;

(v) व्यवसाय के संचालन के साथ संबद्ध व्यय व्यवसायसंघ के स्तर पर किये जाएँगे और उनका भुगतान व्यवसायसंघ के स्तर पर किया जाएगा;

(vi) देयताओं का भुगतान व्यवसायसंघ के स्तर पर किया जाएगा;

(vii) आधिक्य (सरप्लस) का निर्धारण व्यवसायसंघ के स्तर पर किया जाएगा;

(viii) नकदी की माँग व्यवसायसंघ के स्तर पर की जाएगी; तथा

(ix) कोई अन्य अपेक्षा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

10. लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी अथवा व्यवसायसंघ (सिंडिकेट) के पंजीकरण के लिए आवेदन पर विचारः

(1) सक्षम प्राधिकारी लायड्स इंडिया की सिफारिश सहित, सभी प्रस्तुतीकरणों को हिसाब में लेने के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र संयुक्त रूप से लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी और उस/उन व्यवसायसंघ (व्यवसायसंघों), जिसका/जिनका वह प्रतिनिधित्व करती है, को ऐसे फार्म में जारी करेगा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) पंजीकरण प्रमाणपत्र विधिमान्य होगा, जब तक उसका अभ्यर्पण नहीं किया जाता अथवा उसे निरस्त नहीं किया जाता।

11. लायड्स इंडिया के सदस्यः

(1) लायड्स इंडिया, लायड्स के उन सदस्यों के बारे में जो लायड्स इंडिया में सहभागिता करना चाहते हैं, विनिर्दिष्ट फार्मेट में प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(2) लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियों के माध्यम से जोखिम-अंकन करनेवाले लायड्स के सदस्यों की सूची वार्षिक आधार पर प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय III

पंजीकरण के लिए आवेदन का अस्वीकरण

12. पंजीकरण हेतु आवेदन (आर1) का अस्वीकरण

(1) जहाँ सक्षम प्राधिकारी की राय है कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में अपेक्षाएँ आवेदक के द्वारा पूरी नहीं की गई हैं, वहाँ प्राधिकरण आवेदक को अपनी बात कहने के लिए एक अवसर देने के बाद पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र को अस्वीकार कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे अस्वीकरण से तीस दिन के अंदर आवेदक को सूचित किया जाएगा जिसमें वे कारण बताये जाएँगे जिनपर पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र को अस्वीकार किया गया है।

13. पंजीकरण हेतु आवेदन (आर2) का अस्वीकरण

(1) जहाँ प्राधिकरण की राय है कि पंजीकरण हेतु आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है और विनिर्दिष्ट रूप में विनियमों अथवा अनुदेशों के अनुरूप नहीं है, तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक को पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करना वांछनीय नहीं है, वहाँ प्राधिकरण एक आदेश के द्वारा उक्त आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

बशर्ते कि आवेदन को अस्वीकार करने से पहले आवेदक को अपनी बात कहने के लिए प्राधिकरण द्वारा सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश ऐसे अस्वीकरण के तीस दिन के अंदर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा और उसमें वह कारण बताया जाएगा जिसपर आवेदन को अस्वीकार किया गया है।

14. लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी के लिए आवेदन का अस्वीकरण अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरणः

(1) जहाँ एक सेवा कंपनी स्थापित करने के लिए किसी भारतीय कंपनी का आवेदन लायड्स इंडिया के द्वारा अस्वीकार किया गया है, वहाँ उक्त भारतीय कंपनी सक्षम प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकती है।

(2) सक्षम प्राधिकारी उक्त अपील पर विचार कर सकता है तथा मामले के सभी तथ्यों को हिसाब में लेने के बाद आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। यदि लायड्स इंडिया की किसी सेवा कंपनी का आवेदन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार किया गया है, वहाँ ऐसा आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर लिखित में वह कारण बताते हुए जिसपर आवेदन को अस्वीकार किया गया है, सूचित किया जाएगा।

(3) जहाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण करने के लिए लायड्स इंडिया के द्वारा माँग की जाती है, वहाँ प्रतिसंहरण के लिए कारण देते हुए लायड्स इंडिया की सिफारिश के साथ इसका अनुरोध सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी उक्त अनुरोध पर विचार कर सकता है तथा सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश पारित कर सकता है।

(5) यदि लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है, तो ऐसा आदेश सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसे प्रतिसंहरण से तीस दिन के अंदर उसमें वे कारण बताते हुए जिनपर आवेदन का प्रतिसंहरण किया गया है, लिखित में सूचित किया जाएगा।

अध्याय IV

पंजीकरण से संबंधित अन्य विषय

15. अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करनाः

सक्षम प्राधिकारी अथवा प्राधिकरण आवेदक से पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र अथवा पंजीकरण के लिए आवेदन के संबंध में विचार करने के लिए संगत विषयों के संबंध में अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

16. परिचालनों के प्रारंभ के लिए समय-सीमाः

(1) आवेदक जिसे इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वह पुनर्बीमा व्यवसाय जिसके लिए उसे प्राधिकृत किया गया है, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की तारीख से बारह महीने के अंदर प्रारंभ करेगा। यदि आवेदक विनिर्दिष्ट समय के अंदर व्यवसाय प्रारंभ नहीं करता, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र अमान्य हो जाएगा।

बशर्ते कि यदि आवेदक बारह महीने के अंदर उक्त बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने की स्थिति में नहीं है, तो वह उक्त समय-सीमा समाप्त होने से पहले प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए असमर्थता हेतु कारण स्पष्ट करते हुए एक लिखित आवेदन के द्वारा प्राधिकरण से समय-विस्तार की माँग कर सकता है।

(2) सक्षम प्राधिकारी आवेदक के द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए समय-सीमा में विस्तार हेतु अनुरोध प्राप्त करने पर उसकी जाँच करेगा तथा उक्त अनुरोध को अस्वीकार करने अथवा समय-वृद्धि प्रदान करने का निर्णय लिखित में सूचित करेगा।

(3) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से अठारह महीने से अधिक समय का कोई भी विस्तार सक्षम प्राधिकारी के द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा।

17. पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डुप्लिकेट) का निर्गमः

प्राधिकरण लागू करों सहित पाँच हजार रुपये का शुल्क प्राप्त करने के बाद, उस संस्था को पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डुप्लिकेट) जारी कर सकता है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले प्रारूप में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करती है।

18. पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण अथवा निरसन

(1) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा की आवेदक संस्था अथवा लायड्स इंडिया पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(2) सेवा कपनी और/या व्यवसायसंघ पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए लायड्स इंडिया के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(3) कोई भी संस्था उसे प्रदान किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण कर सकती है तथा निम्नलिखित स्थितियों में उसे निरस्त करने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध कर सकती है:

(क) संस्था पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के बाद, निर्धारित समय के अंदर अपने परिचालन प्रारंभ करने की स्थिति में नहीं है;

(ख) संस्था का व्यवसाय अथवा व्यवसाय की श्रेणी प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किसी अन्य संस्था को अंतरित की गई है अथवा उसके व्यवसाय के साथ समामेलित की गई है;

(ग) संस्था का व्यवसाय अथवा व्यवसाय की श्रेणी प्राधिकरण का इस आशय का आदेश जारी करने के बाद किसी व्यक्ति को अंतरित की गई है;

(घ) संस्था भारत में अपने परिचालन समाप्त करने का निर्णय स्वैच्छिक रूप से करती है।

(4) संस्था प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये रूप में अनुरोध के साथ दस्तावेज और सूचना प्रस्तुत करेगी।

(5) पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए आवेदन पर विचार:

(क) किसी संस्था से पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकरण आवेदक को नया व्यवसाय स्वीकार करना समाप्त करने के लिए निर्देश दे सकता है तथा आवश्यक समझी जानेवाली अन्य शर्तें निर्धारित कर सकता है।

(ख) प्राधिकरण अभ्यर्पण के लिए अनुरोध पर वर्तमान संविदाओं की सर्विसिंग सहित मामले के सभी तथ्यों को हिसाब में लेने के बाद विचार कर सकता है और आवश्यक आदेश पारित कर सकता है।

19. समामेलन, विलय, अधिग्रहण, अंतरण अथवा पुनःसंरचना

(1) जहाँ आवेदक या उसकी समूह संस्था ऐसा लेनदेन या व्यवस्था करती है जो भारत में परिचालनों के संबंध में स्वामित्व या शेयरधारिता की संरचना में परिवर्तन में परिणत होता है, वह इन विनियमों में निर्धारित तरीके से प्राधिकरण के अनुमोदन की अपेक्षा करेगा।

(2) आशय की सूचना: संस्थाएँ, जिनके आवेदक, समूह संस्थाओं ने प्रस्तावित लेनदेन या व्यवस्था करने का निर्णय किया है, मूल संस्थाओं के स्वदेश के विनियमनकर्ता को इसका प्रस्तुतीकरण करने से पन्द्रह दिन के अंदर ऐसे आशय की सूचना प्रस्तुत करेंगी।

(3) भारत में शाखा के परिचालनों से युक्त मूल या आवेदक संस्थाओं के द्वारा प्राधिकरण को एक अनुरोध एक लाख रुपये के वापस न करने योग्य आवेदन शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त अनुरोध के साथ नीचे निर्दिष्ट रूप में संबंधित सूचना से युक्त अनुलग्नक प्रस्तुत किये जाएँगे।

(क) आवेदक, समूह और/या लेनदेन करनेवाले पक्षकारों के स्वामित्व की संरचना।

(ख) लेनदेन करने के लिए उठाये जानेवाले कदमों का अनुमोदन करते हुए आवेदक, मूल और/या लेनदेन करनेवाले पक्षकारों के बोर्ड का संकल्प जो संबंधित लेनदेन करनेवाले पक्षकारों के स्वामित्व की संरचना के परिवर्तन में परिणत होगा।

(ग) लेनदेन करने वाले पक्षकारों के हितधारकों के हितों के संरक्षण के संबंध में विवरण।

(घ) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कंपनी अभिशासन शर्तों का अनुपालन।

(ङ) प्रस्ताव के संबंध में अन्य विनियामक अनुमोदनों का विवरण।

(i) अन्य भारतीय / विदेशी विनियमनकर्ताओं को प्रस्तुत किये गये आवेदन, जब भी वे अन्य विनियमनकर्ताओं के पास फाइल किये जाते हैं।

(ii) इस संबंध में अन्य भारतीय / विदेशी विनियमनकर्ताओं द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन।

(च) आस्तियों, देयताओं और शोधन-क्षमता स्थिति को सम्मिलित करते हुए लेनदेन करनेवाले पक्षकारों के भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय परिचालनों के मूल्यांकन के संबंध में बीमांकिक रिपोर्ट(रिपोर्टें)।

(छ) पुनर्बीमा कार्यनीतियों तथा पुनर्बीमा आस्तियों के संरक्षण और अनुरक्षण का विवरण।

(ज) वर्तमान संविदाओं पर प्रस्तावित लेनदेन का निहितार्थ।

(झ) ऐसी अन्य सूचना जो प्राधिकरण अंतिम अनुमोदन प्रदान करने के लिए समय-समय पर अपेक्षा कर सकता है।

(4) प्राधिकरण के अंतिम अनुमोदन के बाद प्रस्तावित लेनदेन या व्यवस्था का कार्यान्वयन केवल भारत में स्थित शाखा के परिचालनों के संबंध में ही किया जाएगा।

बशर्ते कि ऐसे किसी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया जाएगा यदि प्राधिकरण की राय में

(i) विलयित संस्था का उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन अपेक्षित न्यूनतम विनियामक स्तर से कम है; अथवा

(ii) लेनदेन या व्यवस्था किन्हीं अन्य लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन नहीं कर रही है; अथवा

(iii) लेनदेन अथवा व्यवस्था हितधारकों के सर्वोत्तम हितों में नहीं है; अथवा

(iv) लेनदेन अथवा व्यवस्था बीमा क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए सहायक नहीं है।

(5) प्राधिकरण विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों के समामेलन, विलय, अधिग्रहण, अंतरण या पुनःसंरचना का अनुमोदन करने के लिए अथवा उनको प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर कोई भी अपेक्षाएँ या प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकता है।

अध्याय V

शुल्क का भुगतान

20. आवेदन का प्रसंस्करण शुल्क

पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में आवेदन के प्रसंस्करण शुल्क के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।

21. वार्षिक शुल्क

(1) इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रदान किये गये विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 जनवरी तक प्राधिकरण को लागू करों के साथ ऐसे वार्षिक शुल्क का भुगतान करेगा जो विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

बशर्ते कि विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का कोई भी शाखा कार्यालय प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रदान करने के तीस दिन के अंदर उप-विनियम 2 में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम वार्षिक शुल्क जमा करेगा।

(2) उक्त वार्षिक शुल्क निम्नलिखित से उच्चतर होगा

(क) दस लाख रुपये, अथवा

(ख) अधिकतम दस करोड़ रुपये के अधीन जिस वर्ष में वार्षिक शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है, उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में स्वीकृत विकल्पी (फैकल्टेटिव) पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम के एक प्रतिशत का बीसवाँ भाग।

(3) यदि विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तारीख से पहले वार्षिक शुल्क जमा नहीं करती, तो प्राधिकरण निम्नानुसार अर्थदंड के रूप में एक अतिरिक्त शुल्क के साथ वार्षिक शुल्क का भुगतान स्वीकार कर सकता हैः

(क) वार्षिक शुल्क का दो प्रतिशत यदि शुल्क का भुगतान विनिर्दिष्ट तारीख से 30 दिन के अंदर किया जाता है;

(ख) वार्षिक शुल्क का दस प्रतिशत यदि शुल्क का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किया जाता है।

(4) जहाँ विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले इन विनियमों के अनुसार वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करती, वहाँ ऐसी संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया जा सकता है।

22. शुल्क के भुगतान की पद्धति

प्रत्येक आवेदक/विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय आवश्यक शुल्क का भुगतान भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के खाते में करेगा। यह शुल्क इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से विप्रेषित किया जाएगा और प्राधिकरण को ऐसे लेनदेन के लिए विशिष्ट संदर्भ संख्या उपलब्ध कराई जाएगी।

अध्याय VI

चूक की स्थिति में कार्रवाई

23. पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन अथवा निरसनः

(1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन लगाये जानेवाले किसी भी अर्थदंड अथवा की जानेवाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लायड्स इंडिया सहित एफआरबी का पंजीकरण अथवा व्यवसायसंघ और/या सेवा कंपनी जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, जो –

(क) अपने व्यवसाय का संचालन पालिसीधारकों अथवा अध्यर्पक बीमाकर्ताओं के हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से करती है;

(ख) अपने पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करती;

(ग) अधिनियम के अंतर्गत अथवा प्राधिकरण के द्वारा अपेक्षित रूप में आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करती;

(घ) प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी जाँच में सहयोग नहीं करती;

(ङ) पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में छल-कपट करने में लिप्त रहती है;

(च) अनुचित व्यापार पद्धतियों में लिप्त रहती है;

(छ) किसी भी समय अपनी देयताओं की राशि की तुलना में अपनी आस्ति के मूल्य के आधिक्य के विषय में अधिनियम की धारा 64वीए के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती;

(ज) परिसमापन में है अथवा दिवालिया के रूप में उसका न्यायनिर्णयन किया गया है;

(झ) प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना किसी व्यक्ति को व्यवसाय अथवा व्यवसाय की किसी श्रेणी का अंतरण किया है अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता को उसका अंतरण किया गया है अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता के व्यवसाय के साथ उसका समामेलन किया गया है;

(ञ) अधिनियम की किसी भी अपेक्षा अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा किसी विनियम अथवा उसके अधीन जारी किये गये किसी निर्देश का अनुपालन करने में चूक करती है, अथवा अधिनियम की किसी अपेक्षा का उल्लंघन करते हुए कार्य करती है;

(ट) बीमा व्यवसाय अथवा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यवसाय को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय करती है;

(ठ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी निर्देश अथवा आदेश का अनुपालन करने में चूक करती है;

(ड) अपने स्वदेश में उसपर प्रतिबंध लगाया गया है/उसे रोक दिया गया है/उसे निलंबित किया गया है;

(ढ) साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 अथवा धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में चूक करती है, अथवा उसका उल्लंघन करते हुए कार्य करती है;

(ण) वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करती;

(त) फिलहाल प्रचलित किसी भी कानून के अंतर्गत अपराध करने के लिए दोषी ठहराई गई है;

को एक आदेश से प्राधिकरण के द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली अवधि के लिए पुनर्बीमा व्यवसाय की श्रेणी के लिए निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

बशर्ते कि प्राधिकरण लिखित में दर्ज किये जानेवाले कारणों के लिए, ऊपर उल्लिखित प्रकार की बारंबार चूक करने की स्थिति में पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर सकता है।

(2) प्राधिकरण इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर सकता है। संबंधित संस्था को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पंजीकरण के निलंबन का कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण इन विनियमों के अधीन जारी किये जानेवाले आदेश में विनिर्दिष्ट की जानेवाली अवधि के लिए वर्तमान पुनर्बीमा व्यवस्थाओं की सेवा जारी रखने के लिए संबंधित संस्था को निर्देश दे सकता है।

24. पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन का आदेश जारी करने की पद्धति

विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय के पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन का कोई भी आदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में प्रक्रिया के अनुसार जाँच नहीं की जाएगी।

25. पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन से पहले जाँच आयोजित करने की पद्धति:

(1) विनियम 24 के अंतर्गत जाँच करने के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण एक जाँच अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।

(2) उक्त जाँच अधिकारी विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के संबंधित शाखा कार्यालय (संस्था) के व्यवसाय के प्रधान स्थान पर जाँच करने की नोटिस जारी करेगा।

(3) उक्त संस्था ऐसी नोटिस प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन के अंदर जाँच अधिकारी को दस्तावेजी अथवा अन्य प्रकार के साक्ष्य, जिसपर वह निर्भर है, अथवा प्राधिकरण द्वारा जिसकी अपेक्षा की गई है, की प्रतियों के साथ एक उत्तर प्रस्तुत कर सकता है।

(4) जाँच अधिकारी उक्त संस्था को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक उचित अवसर देगा जिससे वह ऊपर उप-विनियम (3) के अधीन प्रस्तुत किये गये अपने उत्तर के समर्थन में प्रस्तुतीकरण कर सके।

(5) यदि आवश्यक समझा जाता है, तो जाँच अधिकारी अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को नियुक्त करने के लिए प्राधिकरण से कह सकता है।

(6) उक्त संस्था एक प्राधिकृत कर्मचारी के माध्यम से अथवा अपने द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकती है।

(7) जाँच अधिकारी सभी संबंधित तथ्यों और उक्त संस्था के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों का ध्यान रखने के बाद प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और विनियामक कार्रवाई करने की सिफारिश उसके लिए औचित्य-प्रतिपादन के साथ करेगा।

26. कारण बताओ नोटिस और आदेशः

(1) जाँच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, प्राधिकरण उस पर विचार करेगा तथा यदि आवश्यक समझा जाता है, तो एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि उसके द्वारा उपयुक्त समझी जानेवाली कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(2) संबंधित संस्था उक्त कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने की तारीख से इक्सीस दिन के अंदर प्राधिकरण को उत्तर प्रेषित करेगी।

(3) प्राधिकरण उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद उक्त उत्तर प्राप्त करने के उपरांत यथाशीघ्र ऐसे आदेश पारित करेगा जो उसके द्वारा उपयुक्त समझे जाएँगे। यदि नोटिस देने के 90 दिन के अंदर संबंधित संस्था के द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो प्राधिकरण मामले में एकपक्षीय तौर पर निर्णय लेने के लिए अग्रसर होगा।

(4) यहाँ इसके ऊपर उप-विनियम 3 के अधीन पारित किये गये आदेश में उस आदेश में लगाये गये अर्थदंड अथवा की जानेवाली किसी अन्य कार्रवाई के लिए औचित्य-स्थापन सहित उसके लिए कारण दिये जाएँगे।

(5) प्राधिकरण यहाँ ऊपर उप-विनियम 4 के अधीन पारित किये गये आदेश की प्रति संबंधित संस्था को प्रेषित करेगा।

27. पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन का प्रभावः

(1) उक्त प्रमाणपत्र के निलंबन की तारीख को और उस तारीख से, संबंधित संस्था नया पुनर्बीमा व्यवसाय करना समाप्त करेगी। तथापि, उक्त संस्था सभी वर्तमान पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अंतर्गत सेवा करना और अपने दायित्वों को पूरा करना जारी रखेगी।

(2) उक्त प्रमाणपत्र के निरसन की तारीख को और उस तारीख से, संबंधित संस्था पुनर्बीमा व्यवसाय करना समाप्त करेगी। किसी संस्था के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरसन यह निर्दिष्ट करेगा कि उसके सभी पुनर्बीमा परिचालन समाप्त हो गये हैं।

28. पंजीकरण प्रमाणपत्र का पुनःस्थापनः यदि प्राधिकरण संतुष्ट होता है कि उक्त संस्था ने आगे पुनर्बीमा व्यवसाय का कुशल संचालन करने के लिए सभी शर्तों का अनुपालन किया है, तो वह उक्त निलंबन का प्रतिसंहरण कर सकता है और उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र का पुनःस्थापन कर सकता है।

29. आदेश का प्रकाशनः विनियम 26 के अधीन पारित प्राधिकरण का आदेश उक्त संस्था के द्वारा उस क्षेत्र में कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाया जाएगा, जहाँ संबंधित संस्था के व्यवसाय का प्रधान स्थान है।

अध्याय VII

परिचालन संबंधी विषय

30. परिचालनगत विषयः विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय जिसे एक शाखा कार्यालय के रूप में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, यह सुनिश्चित करेगी कि हर समय निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए तथा अपने बोर्ड अथवा अपने प्रबंधन की कार्यकारी समिति (बोर्ड द्वारा विधिवत् प्रत्यायुक्त), जैसी स्थिति हो, का आवश्यक अनुमोदन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

(1) भौगोलिक विस्तारः विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं का शाखा कार्यालय भारतीय बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय एवं भारत के बाहर पुनर्बीमा व्यवसाय अपनी निर्धारित जोखिम-अंकन नीति के अनुसार करेगा।

सेवा कंपनी के मामले में, लायड्स इंडिया का व्यवसायसंघ अपनी सेवा कंपनी के माध्यम से भारतीय बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय एवं भारत के बाहर पुनर्बीमा व्यवसाय अपनी निर्धारित जोखिम-अंकन नीति के अनुसार करेगा।

(2) समनुदेशित पूँजीः विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय की समनुदेशित पूँजी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों की नियुक्तिः विदेशी पुनर्बीमाकर्ता, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, पदच्युति, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक के विषय में प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करेगा। प्राधिकरण ऐसे अनुमोदन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध विनिर्दिष्ट कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा निर्धारित `योग्य और उपयुक्त' (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों को पूरा करेगा। विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक (केएमपी) का विवरण उनके बायोडेटा के साथ पंजीकरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके बाद होनेवाला कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा। इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों (केएमपी) में विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य जोखिम-अंकनकर्ता, मुख्य अनुपालन अधिकारी तथा कोई अन्य केएमपी जो उसके द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत किया जाता है, शामिल होंगे।

(4) अतिरिक्त कार्यालय खोलनाः विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय देश के विभिन्न भागों में कारण, संस्थागत संसाधन, रिपोर्टिंग, मुख्य प्रशासनिक कार्यालय द्वारा पर्यवेक्षण और नियंत्रण का विवरण देते हुए कार्यालय खोल सकता है।

बशर्ते कि, लायड्स इंडिया और उसके घटकों के मामले में, लायड्स इंडिया एक बाजार होते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त बाजार और लायड्स इंडिया के घटक पुनर्बीमा व्यवसाय के संचालन के लिए लायड्स इंडिया के कार्यालय स्थान में रखे जाएँगे।

परन्तु आगे यह भी शर्त होगी कि, प्राधिकरण सेवा कंपनियों के द्वारा अतिरिक्त कार्यालय खोलने के संबंध में उपबंध विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(5) बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग): विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं का शाखा कार्यालय प्रमुख कार्यकलाप जैसे जोखिम अंकन, निवेश, दावों का निपटान और विनियामक अनुपालन अपने पास रखेगा।

शाखा बैक-आफिस सर्विसिंग, आईटी, लेखा, विपणन, मानव संसाधन, प्रशासन और प्रचार जैसे कार्यों का बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) कर सकता है। प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना किसी भी कार्य का बाह्यस्रोतीकरण नहीं किया जाएगा। विदेशी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा कार्यकलापों के बाह्यस्रोतीकरण के संबंध में प्राधिकरण उपबंध विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(6) लेखांकनः विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 में विनिर्दिष्ट किये जानेवाले तरीके से लेखा-विवरण सहित वित्तीय विवरणियाँ प्रस्तुत करेगी।

सेवा कंपनी के मामले में, उक्त सेवा कंपनी समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले तरीके से व्यवसायसंघों के लेखा-विवरण सहित वित्तीय विवरणियाँ तैयार करेगी और लायड्स इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत करेगी।

(7) शोधन-क्षमता मार्जिनः विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रत्येक शाखा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 में विनिर्दिष्ट किये जानेवाले तरीके से आस्तियों, देयताओं और शोधन-क्षमता मार्जिन की अपेक्षाओं के विवरण तैयार करेगी और प्रस्तुत करेगी।

सेवा कंपनी के मामले में, लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के जरिये प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले तरीके से व्यवसायसंघों की आस्तियों, देयताओं, और शोधन-क्षमता मार्जिन की अपेक्षाओं के विवरण तैयार करेगी और लायड्स इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत करेगी।

(8) निधियों का प्रत्यावर्तनः- विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय अपने परिचालनों से उत्पन्न किये गये अधिशेष अथवा लाभों के भाग का अंतरण प्रधान कार्यालय को प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली शर्तों के अधीन कर सकता है। विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों के अधिशेष अथवा लाभों को छोड़कर निधियों का कोई भी प्रत्यावर्तन केवल प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा। प्राधिकरण कोई भी अनुमोदन प्रदान करने से पहले समस्त संबंधित सूचना प्राप्त करेगा और इस बात से संतुष्ट होगा कि शाखा कार्यालय की आस्तियाँ उनकी देयताएँ पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त, निधियों का प्रत्यायोजन यथाप्रयोज्य रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक / फेमा की अन्य अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

प्राधिकरण विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय के द्वारा निधियों के प्रत्यावर्तन के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।

(9) `प्रत्यायोजित प्राधिकार': विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखा कार्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ और जाँच लागू करेगी कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से और समझदारी के साथ किया जाए तथा इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव भारत में उसके परिचालनों पर न पड़े। आवेदक स्थानीय परिचालनगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसी शक्तियों और प्रत्यायोजित प्राधिकार की पर्याप्तता के संबंध में विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा में अधिकारियों की प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा भी करेगा। स्थानीय अधिकारियों को दिये गये प्राधिकार के प्रत्यायोजन में कमी के मामले में विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय को इसके लिए कारण भी विनिर्दिष्ट करना होगा। ऐसी समीक्षा की एक प्रति वार्षिक तौर पर पिछले वर्ष और चालू वर्ष में विद्यमान मानदंडों के साथ प्राधिकरण के पास फाइल की जाएगी।

सेवा कंपनी के मामले में, उक्त सेवा कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ और जाँच लागू करेगी कि वे जिन व्यवसायसंघों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनके संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से और समझदारी के साथ किया जाए तथा भारत में सेवा कंपनी के परिचालन के संबंध में इसका कोई प्रतिकूल परिणाम न हो। लायड्स और लायड्स इंडिया भी स्थानीय परिचालनगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसी शक्तियों की पर्याप्तता के संबंध में प्रत्येक सेवा कंपनी और व्यवसायसंघ स्तर पर अधिकारियों की प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा करेंगे। ऐसी समीक्षा की एक प्रति वार्षिक तौर पर पिछले वर्ष और चालू वर्ष में विद्यमान मानदंडों के साथ प्राधिकरण के पास फाइल की जाएगी।

(10) अभिशासन और पर्यवेक्षणः आवेदक और/या पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय प्रभावी अभिशासन और पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने और उनकी निरंतर व्यवहार्यता की निगरानी करने के लिए विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई आवधिक समीक्षाओं की प्रणाली सहित, नियंत्रण संबंधी सभी विवरणियों की समीक्षा करेगी। शाखा के द्वारा प्रस्तुत किये गये और बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखे गये निरीक्षण / लेखा-परीक्षा / संवीक्षा और अनुपालन के निष्कर्षों के सारांश की प्रति भी यदि अपेक्षित हो तो प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी।

स्पष्टीकरणः शंका-निवारण के प्रयोजन के लिए, सेवा कंपनियों को छोड़कर पुनर्बीमाकर्ता की अन्य शाखा कार्यालय के लिए यहाँ इस विनियम में बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के संदर्भ से प्रबंधन की कार्यकारी समिति को प्रेषण (रिफ़रेंस) अभिप्रेत होगा। इसके अतिरिक्त, सेवा कंपनियों के लिए, बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को प्रेषण (रिफ़रेंस) से सेवा कंपनी के बोर्ड को ही प्रेषण (रिफ़रेंस) अभिप्रेत होगा।

(11) रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ:

(क) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रत्येक शाखा कार्यालय आवेदक की निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) में 5% से अधिक ह्रास की सूचना तत्काल प्राधिकरण को देगी।

(ख) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का प्रत्येक शाखा कार्यालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(ग) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रत्येक शाखा कार्यालय प्राधिकरण को निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी।

(i) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 में परिकल्पित रूप में वित्तीय और बीमांकिक रिपोर्टिंग।

(ii) ग्रेड में अवनति (डाउनग्रेडिंग) की रिपोर्टिंगः विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय किसी भी अंतरराष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा मूल रेटिंग के ग्रेड में किसी भी कमी की सूचना प्राधिकरण को संबंधित दस्तावेजों के साथ तत्काल देगी।

(iii) बाह्यस्रोतीकृत कार्यकलापों/ कार्यों संबंधी रिपोर्ट बाह्यस्रोतीकरण किये गये कार्य(कार्यों) तथा उस संस्था के विवरण सहित जिसे उसका बाह्यस्रोतीकरण किया गया है। शाखा के साथ संबंध चाहे मूल संस्था/ कोई अन्य समूह संस्था के रूप में हो, का भी प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।

(12) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रत्येक शाखा कार्यालय स्वरूप, महत्व, व्यावसायिक आवश्यकताओं और अन्य प्रयोज्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, दोनों भौतिक और इलेक्ट्रानिक रूप में, अभिलेखों का अनुरक्षण करने और पुराने अभिलेखों को नष्ट करने के संबंध में अपने प्रबंधन की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित उपयुक्त नीति लागू करेगी।

(13) इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उपबंधों के अतिरिक्त, प्राधिकरण विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखा कार्यालयों के लिए अलग कारपोरेट अभिशासन और सार्वजनिक प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएँ विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(14) निवेशः विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का प्रत्येक शाखा कार्यालय अपनी आस्तियों का निवेश समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के अनुसार करेगा और ऐसे निवेश को बनाये रखेगा।

(15) अन्य विषयः विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय अपने आवेदक के संबंध में उसके स्वदेश के विनियमनकर्ता के द्वारा की गई किसी भी विनियामक अथवा पर्यवेक्षी कार्रवाई की सूचना पूरे विवरण और लगाये गये अर्थदंड अथवा प्रशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो, तथा इसकी पुनरावृत्ति का निवारण करने के लिए विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के द्वारा किये गये उपचारात्मक उपायों सहित, प्राधिकरण को तत्काल देगी।

बशर्ते कि लायड्स इंडिया के मामले में, वह लायड्स अथवा उसके व्यवसायसंघ, प्रबंध एजेंट अथवा सेवा कंपनी के विरुद्ध मूल देश के विनियमनकर्ता के द्वारा की गई किसी भी विनियामक अथवा पर्यवेक्षी कार्रवाई की सूचना पूरे विवरण और अर्थदंड, यदि कोई लगाया गया हो, लागू की गई किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई तथा इसकी पुनरावृत्ति का निवारण करने के लिए लायड्स के द्वारा किये गये उपचारात्मक उपायों सहित, प्राधिकरण को तत्काल देगी।

अध्याय VIII

विविध

31. प्राधिकरण की शक्तियाँ:

1. प्राधिकरण के पास विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय से किसी भी दस्तावेज, अभिलेख अथवा संदेश की माँग करने, उसका निरीक्षण करने अथवा जाँच करने का अधिकार होगा।

2. उपर्युक्त के बावजूद, जहाँ प्राधिकरण की राय है कि भारत में विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय के परिचालन भारतीय बाजार के हित में नहीं हैं, वहाँ अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का अवसर देने के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन सहित उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित है। प्राधिकरण के अनुमोदन से खोली गई विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा कार्यालय केवल प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन से ही बंद की जाएगी।

3. प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी पुनर्बीमा व्यवसाय से संबंधित सभी विषयों पर अतिरिक्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण, जैसा कि आवश्यक हो, माँग सकता है तथा भारतीय बीमाकर्ता को प्राधिकरण के पास फाइल किये गये पुनर्बीमा कार्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए निर्देश दे सकता है।

32. समय-समय पर परिपत्र, दिशानिर्देश और निर्देश जारी करने के लिए शक्तियाँ:

सक्षम प्राधिकारी यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर इन विनियमों से संबंधित परिपत्र, दिशानिर्देश और निर्देश जारी कर सकता है, जिनमें इन विनियमों की कार्यान्वयन प्रक्रिया के संबंध में अस्थायी उपबंध शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

33. कठिनाइयाँ दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति:

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होनेवाली किसी भी संदेह या कठिनाई को दूर करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

34. निरसन और बचतः

(1) ये विनियम इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से निम्नलिखित विनियमों को निरस्त करेंगेः

(क) आईआरडीएआई (लायड्स इंडिया) विनियम, 2016

(ख) आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015

(2) जब तक इन विनियमों के द्वारा अन्यथा व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक यह नहीं समझा जाएगा कि इन विनियमों में निहित कोई भी बात इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पहले की गई संविदाओं को अमान्य ठहराएगी।

(3) जब तक इन विनियमों के द्वारा अन्यथा व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक इन विनियमों के संबंध में किये गये किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तदनुरूपी उपबंधों के अंतर्गत किया गया है या की गई है।

देबाशीष पण्डा,अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./861/2023-24]

अनुसूची I: योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों का निर्धारण

सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो, आवेदक के पंजीकरण के लिए आवेदन और उसकी निरंतरता पर विचार करते समय ऐसे विषयों को ध्यान में रखेगा जो संगत समझे जाएँगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) आवेदक कारोबार अथवा व्यवसाय के जिन क्षेत्रों में लगा हुआ है, उनमें आवेदक के व्यवहार और कार्यनिष्पादन का पिछला सामान्य रिकार्ड;

(2) आवेदक के प्रबंधन में निदेशकों और व्यक्तियों के व्यवहार और कार्यनिष्पादन का रिकार्ड;

(3) आवेदक, उसके प्रवर्तकों और शेयरधारकों का पूँजी विन्यास;

(4) व्यवसाय, शोधन-क्षमता और विनियामक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पूँजी लगाने हेतु क्षमता।

(5) जोखिम-अंकन का कार्य जो विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय को अंतरित किया गया है;

(6) धनशोधन निवारण अधिनियम, फेमा और कराधान कानून सहित भारत में लागू कानूनों का अनुपालन; तथा

(7) अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए कोई अन्य प्रासंगिक विषय।

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 20th March, 2024

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024

F. No. IRDAI/Reg/9/203/2024.—In exercise of the powers conferred by Sections 3, 3A, 6, 114A of the Insurance Act, 1938, and Sections 14, 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations–

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, commencement and applicability:

i. These regulations shall be called the "Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches & Lloyd's India) Regulations, 2024".

ii. These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

iii. These regulations shall be reviewed once in every three years from the date of publication, unless a review, repeal or amendment is warranted earlier.

2. Objective:

To promote orderly growth of the reinsurance market in India, to strengthen and harmonize the current legal and regulatory framework in relation to the various aspects governing entities engaged or intending to engage in reinsurance operations in India.

3. Definitions:

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

(1) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(2) "Applicant" means:

(a) a foreign entity engaged in reinsurance business other than Lloyd's;

(b) The Society of Lloyd's on behalf of Members of Lloyd's, hereafter referred to as "Lloyd's";

(c) Lloyd's India on behalf of service companies and syndicates

which is desirous of obtaining registration for operating branch office in India.

(3) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

(4) "Branch office of foreign reinsurer" or "Foreign Reinsurer's Branch", hereinafter called by the acronym FRB means branch of an applicant including Lloyd's India which has been granted a certificate of registration by the Authority under these Regulations to transact reinsurance business;

(5) "Board" for the purpose of these Regulations means the Board of Directors of FRB or the "Executive Committee" of Management of FRB duly authorized by the Board of Directors of its applicant;

(6) "Competent Authority" means

(a) Chairperson or

(b) such Whole-Time Member or such Committee of the Whole-Time Members or such Officer (s) of the Authority, as may be determined by the Chairperson.

(7) "Coverholder" means an entity authorized by a Managing Agent of Lloyd's to enter into contracts of reinsurance underwritten by Members and syndicates of Lloyd's in accordance with the terms of a binding authority agreement.

(8) "Lloyd's India" means the branch office of the applicant granted certificate of registration by the Authority under these Regulations to transact reinsurance business.

Constituents of Lloyd's India include:

(a) Members of Lloyd's, formed collectively as

(b) Syndicates who delegate authority to

(c) Service companies, located within Lloyd's India

(9) "Managing Agent" means a corporate entity which has permission from Lloyd's to manage a syndicate and carry on underwriting and other functions on behalf of members of Lloyd's;

(10) "Members of Lloyd's India" means those Members of Lloyd's who wish to participate in Lloyd's India;

(11) "Net Owned Fund" shall consist of:

(a) Paid up equity capital,

(b) Free reserves,

(c) Securities premium account sum of which is reduced by:

(i) accumulated losses,

(ii) and book value of intangible assets

The Net Owned Fund should be computed on the basis of last audited Balance Sheet not more than twelve (12) months prior to the date of application and any capital raised after the Balance Sheet date should not be accounted for while computing Net Owned Fund.

(12) "Service Companies of Lloyd's India" means Service Companies registered in India and promoted by:

(a) Managing Agents of Lloyd's; or

(b) Such group entities of Managing Agents or Members of Lloyd's as may be permitted by Lloyd's; or

(c) Indian Companies which meet the specified criteria

(13) "Syndicates of Lloyd's India" means Syndicates of Lloyd's who wish to participate in Lloyd's India through a service company delegated authority arrangement;

(14) Words and expressions, used and not defined in these Regulations but defined in the Act or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), rules or Regulations made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or rules or Regulations.

CHAPTER II

REGISTRATION OF FOREIGN REINSURER BRANCHES, SYNDICATES AND SERVICE COMPANIES OF LLOYDS INDIA

4. Applicants' Eligibility:

(1) An Applicant desirous of obtaining a certificate of registration from the Authority under these Regulations, shall comply with eligibility criteria, as specified below:

(a) The applicant has obtained the prior approval or an in-principle clearance from the home country regulator at the time of filing the application with the Authority. Syndicates of Lloyds shall obtain permission from the Society of Lloyds London;

(b) The applicant shall be registered or certified in a regulatory environment in the concerned class of business in a jurisdiction or country with whom the Government of India has signed Double Taxation Avoidance Agreement;

(c) The Net Owned Fund of the applicant shall not be less than the specified amount of rupees five thousand crore at the time of application;

(d) The applicant has a minimum credit rating indicating good financial security characteristics from any international credit rating agency for at least three years preceding the date of application;

(e) The applicant has been in reinsurance business for at least ten years;

(f) The applicant has a solvency margin as stipulated by the home regulator;

(g) The applicant shall infuse a minimum assigned capital of rupees one hundred crore into Lloyd's India and rupees fifty crore in other cases;

(h) Any other requirement that may be specified by the Authority from time to time.

(2) An applicant shall not be eligible to make a requisition for registration application under these Regulations if the applicant's:

(i) requisition for registration application has been rejected by the Authority or withdrawn by the applicant at any time during the three financial years preceding the date of requisition for registration application; or

(ii) application for registration has been rejected by the Authority or withdrawn by the applicant at any time during the three financial years preceding the date of requisition for registration application; or

(iii) certificate of registration has been cancelled by the Authority or surrendered by the applicant in the preceding three years.

(3) Where an 'applicant' is part of a 'group' which already has an entity registered to undertake reinsurance business in India, it shall not be eligible to apply for Certificate of Registration under these Regulations.

Provided that syndicates and service companies of Lloyd's which do not already have presence in India shall be eligible to apply for Registration under these Regulations.

Explanation: The term "Group" shall have the same meaning as assigned to it in Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of insurers) Regulations, 2024

5. Procedure for Registration of FRBs and Lloyds India:

(1) **Permissible Classes of Re-Insurance Business:**

The classes of business of reinsurance for which requisition for registration application may be made are:

(a) Life and/or General and/or Health reinsurance business; or

(b) any other classes as may be specified by the Authority;

(2) **Requisition for R1 Application**

(a) An applicant, excluding Lloyd's India, desirous of carrying on reinsurance business in India through its branch office, shall make a requisition for registration application. The

Competent Authority, upon receipt of application for issuance of Form IRDAI/Reins/R1 and after examining the matters considered relevant to its satisfaction, shall issue the Form IRDAI/Reins/R1 to the applicant. The form shall be valid for a period of three months, within which the applicant shall submit the duly filled Form IRDAI/Reins/R1 to the Authority for its consideration.

Provided that the Competent Authority, by recording the reasons in writing, may extend the validity of the IRDAI/Reins/R1 Form by up to three months.

(b) The Competent Authority, by recording the reasons in writing, may reject the application for issuance of Form IRDAI/Reins/R1.

(3) **R1 Application**

(a) Every application in Form IRDAI/Reins/R1 as per specified format shall be accompanied by such documents, affidavits, undertakings and declarations, as specified under these regulations.

(b) The Competent Authority, after examining the matters considered relevant as specified under Schedule I and on being satisfied that:

(i) the application in Form IRDAI/Reins/R1 is complete and correct in all respects and is accompanied by all documents required therein;

(ii) the branch office of the applicant or Lloyd's India, as the case may be, will carry on all functions in respect of the reinsurance business;

(iii) the certified copy of the Memorandum of Association and Articles of Association or a corresponding document which details the manner of formation and conduct of its business is submitted;

(iv) the name, position, address and the occupation of the person proposed to be in-charge of the operations in India is included;

(v) an undertaking indicating infusion of the assigned capital as may be specified by the Authority from time-to-time is submitted;

(vi) a certified copy of the annual report of applicant for the last five years preceding the year of filing of requisition for registration application is submitted;

(vii) a copy of the certificate from the home country regulator that the applicant has the necessary permissions to open a branch office in India is submitted;

(viii) a letter of comfort from the applicant supported by the resolution from its Board of Directors or the Executive Committee of Management, as applicable, that it shall meet all the liabilities of the branch office at all times, is submitted;

(ix) Proof in support of payment of non-refundable fee of rupees five lakh along with applicable taxes towards processing the Form IRDAI/Reins/R1 through any of the recognized modes of electronic fund transfer is submitted;

(x) any other requirement that may be specified by the Authority from time-to-time shall be fulfilled;

may accept the application for the registration (Form IRDA/Reins/R1), subject to the conditions as may be specified in the approval letter.

The applicant shall be issued the application for registration Form IRDAI/R2 in such format as may be specified from time to time along with the said approval letter.

(c) The R1 approval shall be valid for a period of three months, within which the Applicant shall submit duly filled form IRDAI/Reins/R2 for consideration of the Authority.

Provided that the Competent Authority, on being satisfied, may extend the validity of the R1 approval by up to three months.

(d) The Competent Authority may reject the application (Form IRDA/Reins/R1) for registration in accordance with Chapter III of these Regulations.

(4) **R2 Application**

(a) An applicant, whose application for registration has been accepted by the Competent Authority, shall make an application in Form IRDAI/Reins/R2 for grant of a certificate of registration for carrying on reinsurance business in India.

(b) Every application shall be accompanied by:

(i) documentary proof of evidence of having minimum assigned capital of rupees fifty crore;

Provided that in case of Lloyd's India, the minimum assigned capital shall be rupees hundred crore.

(ii) an affidavit by the person authorized by the Board of Directors or the Executive Committee of Management, of the applicant, as the case may be, certifying that the requirements of the assigned capital have been satisfied;

(iii) an affidavit by the applicant certifying that the requirements of section 6(2) of the Act to the effect that Net Owned Fund of the applicant is above rupees five thousand crore, have been satisfied;

(iv) a certificate from a practicing chartered accountant or a practicing company secretary certifying that all the requirements relating to assigned capital and other requirements of the Act and these regulations have been complied with by the applicant;

(v) proof in support of payment of non-refundable fee of rupees five lakh along with applicable taxes towards processing the Form IRDAI/Reins/R2 through any of the recognized modes of electronic fund transfer;

(vi) any other information required by the Authority during the processing of the application for registration.

(c) The Authority shall take into account for considering the grant of certificate of registration, all matters relating to carrying on the business of reinsurance by the applicant through FRB or Lloyd's India and the matters specified under Schedule I. The Authority on being satisfied that—

(i) the application in Form IRDAI/Reins/ R2 is complete in all respects and is accompanied by all documents required therein;

(ii) the applicant shall carry on the reinsurance business as may be specified;

may accept and approve at its discretion, the application for registration (Form IRDA/Reins/R2) subject to the conditions as may be specified.

(d) The Authority may reject the application (Form IRDA/Reins/R2) for registration in accordance with Chapter III of these Regulations.

6. Grant of Certificate of Registration (R3):

(1) The Authority, shall make such inquiry as it deems fit that:

(a) the applicant is eligible, and is likely to effectively meet its obligations imposed under the Act;

(b) the financial condition and the general character of management of the applicant are sound;

(c) the volume of business likely to be available to and earning prospects of, the applicant will be adequate;

(d) the interests of the general public will be served and it contributes to overall growth and development of the insurance sector if the certificate is granted to the applicant in respect of the class of reinsurance business specified in the application.

(2) On being satisfied with the above and matters considered relevant as specified under Schedule I, the Authority shall, at its discretion, register the applicant as a branch office of a foreign reinsurer for which the applicant is found suitable and grant the applicant a certificate in Form IRDAI/Reins/R3 as may be specified by the Authority from time to time.

(3) The applicant shall be compliant with "Fit and Proper" criteria on a continuous basis.

7. Conditions for grant of registration:

While considering the grant of certificate of registration for branch offices of applicants, the Authority shall stipulate the following conditions:

(1) The applicant shall furnish a duly certified copy of the resolution of the Board of Directors or the Executive Committee of Management of the applicant, as the case may be, in support of the commitment given in the letter of comfort as specified by the Authority;

(2) The branch office shall be capable of underwriting risks, provide policy services and settling claims;

Provided that in case of Lloyd's India, underwriting risks and settling claims on behalf of members of Lloyd's shall be done by service companies and syndicates of Lloyds India;

(3) Society of Lloyd's shall set up Lloyd's India, that will be granted certificate of registration to establish a market and associated structures for conduct of reinsurance business in India and outside India in the manner set out in these Regulations;

(4) The minimum assigned capital shall be invested in accordance with the IRDAI Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of insurers) Regulations, 2024;

(5) The applicant shall make a commitment to organize training of their Indian underwriters in handling various classes of business;

(6) The branch office of the applicant shall comply with the requirements of Foreign Exchange Management Act, 1999 and any other law in force governing the operations of such office;

(7) The branch office shall comply with the Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999, rules, regulations, circulars, guidelines issued thereunder and applicable framework in its operations.

8. Registration of Service Company of Lloyd's India

(1) **Norms for establishing Service Companies of Lloyd's India**

The eligible promoters as mentioned in regulation 3(12) who wish to participate in Lloyd's India shall set up a service company with the following norms:

(a) The service company may be a private or a public limited company with a Paid up capital of rupees five lakh and is registered under the Indian Companies Act, 2013;

(b) The main objects in the Memorandum of Association shall be to provide all technical, underwriting, binding risks, settling claims, administrative, accounting, investment, regulatory and other assistance to the syndicate whom they represent;

Provided that the Authority may specify such other main objects that may be specified in the MOA/AOA of the service company;

(c) The service company shall be responsible for all statutory & regulatory filing and compliances on behalf of the syndicate it represents;

(d) The Chief Executive Officer (CEO) of a service company shall be subject to fit & proper criteria and shall be appointed with prior approval of the Competent Authority;

(e) Any other requirement that may be specified by the Competent Authority from time to time.

(2) **Procedure for registration**

(a) The eligible promoters as mentioned in regulation 3(12) who wish to set-up a service company to underwrite reinsurance at Lloyd's India shall make an application to the Authority through Lloyds India in the manner and form as specified from time to time.

(b) The service company in its application for registration shall indicate the name of syndicate that it may or may not represent in Lloyd's India.

(c) The application for registration of a service company for Lloyd's India shall be accompanied with non-refundable application fee of rupees one lakh along with applicable taxes.

(3) **Undertakings to be completed by Service Company for Lloyd's India**

(a) The service company along with its application for registration shall also complete the Lloyd's Service Company Undertaking through which the Service Company agrees to comply with all relevant rules and requirements of Lloyd's and the local legal, fiscal, taxation and regulatory authorities.

(b) The service company along with its application for registration shall also complete the Lloyd's Coverholder Decision Paper which provides detailed information on the proposed Service Company, including the following.

(i) the level of underwriting and claims authority granted to the Service Company,

(ii) the business strategy for the Service Company,

(iii) details relating to principal staff operating in the Service Company,

(iv) financial information,

(v) professional indemnity details.

(vi) classes of business to be underwritten by the Service Company,

(vii) the approach the Service Company will take to ensure compliance with registration requirements,

(viii) other requirements as specified by Lloyd's subject to approval of the Competent Authority.

(c) Subsequent to completing the decision paper, the service company shall perform Lloyd's Service Company Self- Assessment against the "Principles of Doing Business" issued by Lloyd's which includes information such as any internal audit carried out on the Service Company.

(d) Any other requirement that may be specified by the Authority from time to time.

(4) **Conditions governing Service Companies of Lloyd's India**

(a) The service companies of Lloyd's India shall be subject to compliance of the conditions laid down by Lloyd's India.

(b) The service companies shall enter into Service Company Underwriting Agreement, a contract that delegates authority to the service company from the Members of the relevant syndicates.

(c) The service company of Lloyd's India under the Service Company Underwriting Agreement shall be responsible for the following:

(i) binding insurances and amendments thereto on behalf of Members of Lloyd's;

(ii) acting on behalf of Members of Lloyd's for the purpose of receiving premiums from reinsured and settling refunds and to receive claims money prior to onward transmission to reinsured;

(iii) management and control of expenses;

(iv) employment of underwriting staff;

(v) any other task that may be entrusted to it by Lloyd's India to carry out the business of reinsurance in an efficient manner.

(d) The service company shall undertake the following:

(i) issuance of documents evidencing the contracts of insurance, endorsements and other such documents evidencing cover as may be agreed in writing by the underwriters;

(ii) collect and process premiums and return premiums on the underwriters' behalf;

(iii) handle claims and/or settle claims, if authorized;

(iv) shall use prominently the name of the Syndicates which they represent and that they are merely writing on Syndicates' capacity and not acting as insurers themselves;

(v) skill development and capacity building of local talent;

(vi) strive to make India as a reinsurance hub;

(vii) compliance with FEMA and other local laws;

(viii) compliance to the conditions laid down by Lloyd's India;

(ix) compliance of Act, Regulations, guidelines, circulars issued by the Authority;

(x) compliance to any other requirement that may be specified by the Competent Authority from time to time.

9. Registration of Syndicates of Lloyd's India:

(1) **Procedure for registration**

Syndicates of Lloyd's who wish to underwrite reinsurance through a Service Company in Lloyd's India shall apply along-with the service company to the Authority through Lloyd's India in the specified format.

(2) **Conditions governing approval to operate as a syndicate in Lloyd's India**

(a) Every syndicate shall through the service company maintain an assigned capital of rupees five crore at all times.

(b) The syndicates shall enter into Service Company Underwriting Agreement, a contract that delegates authority to the service company from the Members of Lloyd's of the relevant syndicates.

(c) Syndicates of Lloyd's India shall ensure that:

(i) the reinsurance business is managed on behalf of the members of Lloyd's India through the service company;

(ii) the members of the syndicates contract with the reinsured;

(iii) premiums are collected at syndicate level and carried to a premium trust fund held for that syndicate;

(iv) outward reinsurance is placed and recoveries are collected at syndicate level;

(v) expenses associated with the conduct of the business are incurred and paid at syndicate level;

(vi) liabilities are paid at syndicate level;

(vii) surpluses are determined at syndicate level;

(viii) cash calls are made at syndicate level; and

(ix) any other requirement that may be specified by the Competent Authority from time to time.

10. Consideration of application for registration of a service company and syndicate of Lloyd's India:

(1) The Competent Authority after taking into account all submissions including the recommendation of Lloyd's India shall issue a certificate of registration jointly to the service company of Lloyd's India and the syndicate (s) it represents in such form as may be specified.

(2) The certificate for registration shall be valid unless surrendered or cancelled.

11. Members of Lloyd's India:

(1) Lloyd's India shall inform the Authority about the Members of Lloyd's who wish to participate in Lloyd's India in the specified format.

(2) The list of Members of Lloyd's underwriting through Service Companies of Lloyd's India shall be furnished to the Authority on an annual basis.

CHAPTER III

REJECTION OF APPLICATION FOR REGISTRATION

12. Rejection of application for registration (R1)

(1) Where the Competent Authority is of the view that the requirements as specified in these Regulations are not fulfilled by the applicant, the Authority may, after giving the applicant an opportunity of being heard, reject the requisition for registration application.

(2) The order rejecting the application under sub-regulation (1) shall be communicated by the Competent Authority within thirty days of such rejection to the applicant stating therein the grounds on which the requisition for registration application has been rejected.

13. Rejection of application for registration (R2)

(1) Where the Authority is of the view that an application for registration is not complete in all respects and does not conform to the Regulations or instructions as specified, and on being satisfied that it is

not desirable to grant a certificate of registration to the applicant, the Authority may, by an order, reject the application.

Provided that before rejecting the application the applicant shall be given an opportunity of being heard by the Authority.

(2) The order rejecting the application under sub-regulation (1) shall be communicated within thirty days of such rejection to the applicant in writing stating therein the ground on which the application has been rejected.

14. Rejection of application or revocation of certificate of registration for a Service Company of Lloyd's India:

(1) Where an application of an Indian company for setting up a service company is rejected by Lloyd's India, the Indian company may appeal to the Competent Authority.

(2) The Competent Authority may consider the appeal and taking into account all facts of the case may pass necessary orders. In case the application of a service company of Lloyd's India is rejected by the Competent Authority, such an order shall be communicated within thirty days of such rejection in writing stating therein the ground on which the application has been rejected.

(3) Where the certificate of registration issued by the Competent Authority is sought to be revoked by Lloyd's India, request for the same shall be sent to the Competent Authority along with the recommendation of Lloyd's India giving the reasons for revocation.

(4) The Competent Authority may consider the request and considering all facts, may pass necessary orders.

(5) In case the certificate of registration of a service company of Lloyd's India is revoked by the Competent Authority, such an order shall be communicated by the Competent Authority within thirty days of such revocation in writing stating therein the grounds on which the application has been revoked.

CHAPTER IV

OTHER MATTERS RELATING TO REGISTRATION

15. Furnishing of further information and clarifications:

The Competent Authority or the Authority may require the applicant to furnish further information or clarifications regarding the matters relevant to consider the requisition for registration application or application for registration.

16. Time Limit for commencement of operations:

(1) An applicant which has been granted the Certificate of Registration under these Regulations shall commence reinsurance business, for which it has been authorized, within twelve months from the date of approval by the Authority. In case the applicant fails to commence business within the specified time, the Certificate of Registration shall become invalid.

Provided that in case the applicant is not in a position to commence the insurance business within twelve months, it can before the time limit expires, seek an extension from the Authority through a written application, explaining the reasons for not being able to commence business within the period specified by the Authority.

(2) The Competent Authority on receipt of the request for extension of time limit for commencement of business by the applicant, shall examine the same and communicate the decision in writing either rejecting the request or granting it;

(3) No extension of time shall be granted by the Competent Authority beyond eighteen months from the date of grant of certificate of registration.

17. Issue of duplicate certificate of registration:

The Authority may, on receipt of fee of rupees five thousand along with applicable taxes, issue a duplicate certificate of registration to an entity that makes an application to the Authority in such form as may be specified by the Competent Authority.

18. Surrender or cancellation of certificate of registration

(1) The applicant of branch of foreign reinsurer or Lloyds India may apply for surrender of certificate of registration to the Authority.

(2) A service company and/or syndicate may apply for surrender of certificate of registration to the Authority through Lloyd's India.

(3) An entity may surrender the Certificate of Registration granted to it and may request the Authority to cancel the same in the following cases:

(a) An entity is not in the position to commence its operations, subsequent to grant of Certificate of Registration, within the stipulated time;

(b) The business or a class of the business of the entity has been transferred to or amalgamated with the business of any other entity after obtaining approval of the Authority;

(c) The business or a class of the business of the entity has been transferred to any person pursuant to the Order of the Authority to this effect;

(d) An entity which voluntarily decides to discontinue its operations in India.

(4) An entity shall furnish documents and information with the request as may be specified by the Authority.

(5) Consideration of application for surrender of certificate of registration:

(a) On receipt of an application for surrender of certificate of registration from an entity, the Authority may direct the applicant to discontinue acceptance of new business and may stipulate such other conditions as deemed necessary.

(b) The Authority may consider the request for surrender after taking into account all facts of the case including servicing of the existing contracts and may pass necessary orders.

19. Amalgamation, Merger, Acquisition, Transfer or Restructuring

(1) Where an applicant or its group entity enters in to a transaction or arrangement which results in a change of ownership or holding structure with regard to the branch operations in India, it shall seek the approval of the Authority in the manner as set out in these regulations.

(2) Notice of Intention:

Entities whose applicant, group entities have decided to enter in to the proposed transaction or arrangement shall furnish notice of such intention within fifteen days of submission of the same to the home country regulator of the parent entities.

(3) A request shall be submitted to the Authority by the parent or the applicant entities having branch operations in India along with a non-refundable application fee of rupees one lakh. The request shall be accompanied with enclosures containing related information as indicated below:

(a) Ownership structure of the applicant, group and/or the transacting parties.

(b) Board Resolution of the applicant, parent and/or the transacting parties approving the steps to undertake transactions which would result in change of ownership structure of the respective transacting parties.

(c) Details regarding protection of interests of stakeholders of the transacting parties.

(d) Compliance with the Corporate Governance stipulations issued by the Authority.

(e) Details of other regulatory approvals in respect of the proposal:

(i) applications submitted to the other Indian/foreign Regulators as and when they are filed with other regulators

(ii) approvals granted by the other Indian/foreign regulators in this regard

(f) Actuarial report(s) on valuation of the re-insurance business operations in India of the transacting parties encompassing the assets, liabilities and solvency position.

(g) Details of reinsurance strategies and protection and maintenance of reinsurance assets.

(h) Implication of the proposed transaction on the existing contracts.

(i) Such other information which the Authority may require from time to time for the grant of final approval.

(4) The proposed transaction or arrangement shall be implemented with regard to the branch operations in India only after final approval of the Authority.

Provided that no such proposal shall be approved if in the opinion of the Authority

(i) the available solvency margin of the merged entity will be lower than the required minimum regulatory level; or

(ii) the transaction or arrangement is not compliant with any other applicable laws and Regulations; or

(iii) the transaction or arrangement is not in the best interests of the Stakeholders; or

(iv) the transaction or arrangement is not conducive to the orderly growth of the insurance sector.

(5) The Authority may specify any requirements or procedure for the approval of or to give effect to Amalgamation, Merger, Acquisition, Transfer or Restructuring of Branches office of foreign reinsurers, from time to time.

CHAPTER V

PAYMENT OF FEES

20. Application processing fee

Every application for registration shall be accompanied by proof of payment of the application processing fee as specified in these Regulations.

21. Annual Fee

(1) Branch office of foreign reinsurer granted registration under these Regulations shall pay such annual fee as may be specified, along with applicable taxes to the Authority by 31st day of January of each financial year.

Provided that any branch office of foreign reinsurer shall deposit the minimum annual fee as specified in sub-regulation 2 within thirty days of grant of registration by the Authority.

(2) The annual fee shall be higher of

(a) rupees ten lakhs, or

(b) one twentieth of one percent of the total premium in respect of facultative reinsurance accepted in India during the financial year preceding the year in which the annual fees are required to be paid subject to a maximum of rupees ten crore.

(3) If a Branch office of foreign reinsurer fails to deposit the annual fee before the date specified in these Regulations, the Authority may accept the payment of annual fee along with an additional fee by way of penalty of:

(a) two percent of the annual fee if paid within thirty days from the specified date;

(b) ten percent of the annual fee if paid before the end of financial year.

(4) Where a Branch office of foreign reinsurer has failed to pay the annual fees in accordance with these Regulations before the end of the financial year, then the certificate of registration of such entity shall be liable to be cancelled.

22. Manner of payment of fee

Every applicant/ Branch office of Foreign Reinsurer shall pay the requisite fee into the account of Insurance Regulatory and Development Authority of India. The fee shall be remitted through electronic mode and the Authority shall be provided the unique reference number for such transaction.

CHAPTER VI

ACTION IN CASE OF DEFAULT

23. Suspension or cancellation of Certificate of Registration:

(1) Without prejudice to any penalty which may be imposed or any action taken under the provisions of the Act, the registration of FRB including Lloyds India or the syndicate and/or service company granted certification of registration which -

(a) conducts its business in a manner prejudicial to the interests of the policyholders or ceding insurers;

(b) fails to furnish any information as required by the Authority relating to its reinsurance business;

(c) does not submit periodical returns as required under the Act or by the Authority;

(d) does not cooperate in any inquiry conducted by the Authority;

(e) indulges in manipulating the reinsurance business;

(f) indulges in unfair trade practices;

(g) fails, at any time, to comply with the provisions of Section 64VA of the Act, as to the excess of the value of its assets over the amount of its liabilities;

(h) is in liquidation or is adjudged as an insolvent;

(i) has transferred the business or a class of business to any person or has been transferred to or amalgamated with the business of any other insurer without the approval of the Authority;

(j) makes default in complying with, or acts in contravention of, any requirement of the Act or of any rule or any Regulation or order made or any direction issued thereunder;

(k) carries on any business other than insurance business or any business specified by the Authority;

(l) makes a default in complying with any direction issued or order made, by the Authority under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999;

(m) is banned/debarred/suspended in its home country;

(n) makes a default in complying with, or acts in contravention of, any requirement of the General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972 or the Foreign Exchange Management Act, 1999 or the Prevention of Money Laundering Act, 2002;

(o) fails to pay the annual fee;

(p) is convicted of an offence under any law for the time being in force;

may be suspended or cancelled for the category of reinsurance business for such period as may be specified by the Authority by an order;

Provided that the Authority for reasons to be recorded in writing may, in case of repeated defaults of the type mentioned above, cancel the certificate of registration.

(2) The Authority may suspend the Certificate of Registration in accordance with the process as specified in these Regulations. No order of suspension of Registration shall be issued without granting an opportunity of being heard to the concerned entity.

Provided that the Authority may direct the concerned entity to continue to service the existing reinsurance arrangements for such period as may be specified in the order made under these Regulations.

24. Manner of making order of suspension or cancellation of Certificate of Registration

No order of suspension or cancellation of the certificate of registration of the Branch office of a foreign reinsurer shall be issued except after holding an enquiry in accordance with the procedure as specified in these Regulations.

25. Manner of holding enquiry before suspension or cancellation of Certificate of Registration:

(1) For the purpose of holding an enquiry under Regulation 24, the Authority may appoint an enquiry officer.

(2) The enquiry officer shall issue a notice of enquiry at the principal place of business of the concerned Branch office of foreign reinsurer(entity).

(3) The entity may, within thirty days from the date of receipt of such notice, furnish to the enquiry officer a reply, together with copies of documentary or other evidence relied upon by it or sought by the Authority.

(4) The enquiry officer shall give a reasonable opportunity of being heard to the entity to enable it to make submissions in support of its reply made under sub-regulation (3) above.

(5) If it is considered necessary, the enquiry officer may ask the Authority to appoint a presenting officer to present its case.

(6) The entity may either appear through an authorized employee or through any other person duly authorized by it before the enquiry officer.

(7) The enquiry officer shall, after taking into account all relevant facts and submissions made by the entity, submit a report to the Authority and recommend the regulatory action to be initiated as also the justification for the same.

26. Show-cause notice and order:

(1) On receipt of the report from the enquiry officer, the Authority shall consider the same and if deemed necessary by it, issue a show-cause notice as to why action as it considers appropriate should not be initiated.

(2) The concerned entity shall, within twenty-one days of the date of receipt of the show-cause notice, send a reply to the Authority.

(3) The Authority after considering the reply to the show-cause notice, shall as soon as possible from the receipt of the reply, pass such orders as it deems fit. If no reply is furnished to the Authority by the concerned entity within ninety days of the service of the notice, the Authority shall proceed to decide the issue ex-parte.

(4) An order passed under sub-regulation 3 hereinabove shall give reasons therefor including justification for the penalty imposed or any other action taken by that order.

(5) The Authority shall send a copy of the order made under sub-regulation 4 hereinabove to the concerned entity.

27. Effect of suspension or cancellation of Certificate of Registration:

(1) On and from the date of suspension of the certificate, the concerned entity shall cease to transact new reinsurance business. However, the entity shall continue to service and meet its obligations under all existing reinsurance arrangements.

(2) On and from the date of cancellation of the certificate, the concerned entity shall cease to transact reinsurance business. Cancellation of the certificate of registration of an entity shall indicate that all its reinsurance operations have ceased.

28. Restoration of Certificate of Registration: If the Authority is satisfied that the entity has further complied with all the conditions for efficient conduct of reinsurance business, it may revoke the suspension and restore its certificate of registration.

29. Publication of order: The order of the Authority passed under Regulation 26, shall be published by the entity in at least two daily newspapers in the area where the concerned entity has its principal place of business.

CHAPTER VII

OPERATIONAL MATTERS

30. Operational issues: The Branch office of foreign reinsurer granted the certificate of registration by the Authority to transact reinsurance business as a branch office shall ensure that the following minimum requirements are complied with at all times and shall submit to the Authority the necessary approval of their Board or the Executive Committee of their Management (duly delegated by the board), as the case maybe.

(1) Geographical Scope: The Branch office of foreign reinsurers shall transact reinsurance business with Indian insurers, as well as reinsurance business outside India in accordance with their laid down underwriting policy.

In case of a service company, the Syndicate of Lloyd's India through their service company shall transact reinsurance business with Indian insurers, as well as reinsurance business outside India in accordance with their laid down underwriting policy.

(2) Assigned Capital: The assigned capital of the Branch office of foreign reinsurer shall not be less than the amount specified at the time of grant of certificate of registration.

(3) Appointment of Chief Executive Officer and other Key Management Personnel: The foreign reinsurer shall obtain prior approval of the Authority on the appointment, reappointment, removal and managerial remuneration payable to Chief Executive Officer of the Branch office of foreign

reinsurer. The Authority may specify further provisions with respect to such approval. The person so appointed shall satisfy the 'fit and proper' criteria stipulated by the Authority. The details of the Key Management Personnel (KMP) of the Branch office of foreign reinsurer along-with their bio-data shall be submitted as part of the registration process and any change subsequently shall be intimated to the Authority. For the purposes of these Regulations, Key Management Personnel shall include Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Underwriter, Chief compliance officer of the Branch office of foreign reinsurer and any other KMP as may be appointed or designated by it.

(4) Opening of additional offices: The Branch office of foreign reinsurer may open offices in different parts of the country giving the reasons, organization resources, reporting, supervision and control by the main administrative office.

Provided that, in case of Lloyd's India and its constituents, Lloyd's India being a market shall ensure that the market and the constituents of Lloyd's India are housed within an office location of Lloyd's India for the conduct of reinsurance business.

Provided further that, the Authority may specify provisions with respect to opening of additional offices by service companies.

(5) Outsourcing: The Branch office of foreign reinsurers shall retain the core activities such as underwriting, investment, claims settlement and regulatory compliances. The branch may outsource functions of back-office servicing, IT, accounts, marketing, human resources, administration and publicity. No other function shall be outsourced without the prior approval of the Authority. The Authority may specify provisions with respect to outsourcing of activities by Branch office of foreign reinsurer.

(6) Accounting: The Branch of foreign reinsurer shall submit financial returns including statement of accounts in the manner as may be specified in Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of insurers) Regulations, 2024 as amended from time to time.

In case of a service company, the service company shall prepare and submit financial returns including statement of accounts of the syndicates through Lloyd's India in the manner as may be specified by the Authority through Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of insurers) Regulations, 2024 as amended from time to time.

(7) Solvency Margin: Every Branch of foreign reinsurer shall prepare and submit statement of assets, liabilities and solvency margin requirements in the manner as may be specified in Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of insurers) Regulations, 2024.

In case of a service company, the service company of Lloyd's India shall prepare and submit statement of assets, liabilities and solvency margin requirements of the syndicates through Lloyd's India in the manner as may be specified by the Authority through Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of insurers) Regulations, 2024 as amended from time to time.

(8) Repatriation of funds: – The Branch office of the foreign reinsurer may transfer part of surplus or profits generated out of its operations to head office, subject to conditions as may be specified by the Authority. Any repatriation of funds other than surplus or profits of the Branch offices of foreign reinsurers shall be only with prior approval of the Authority. The Authority before granting an approval shall obtain all relevant information and satisfy itself that the assets of the Branch office are adequate to meet their liabilities. In addition, any repatriation of funds shall comply with the other requirement of RBI/ FEMA, as applicable.

The Authority may issue directions with regard to the repatriation of funds by the Branch office of foreign reinsurer.

(9) 'Delegated authorities': Branch office of foreign reinsurers shall introduce systems and checks to ensure that delegated powers are exercised prudently and judiciously by the authorized officials and has no adverse effect on its operations in India. The applicant shall also review the delegated powers of functionaries at the Branch of foreign reinsurer as regards adequacy of such powers to meet local operational requirements and the delegated authority. In case of reduction in delegation of the authority provided to the local functionaries, the Branch office of foreign reinsurer has to specify the reason for the same. A copy of such review shall be filed with the Authority annually along with the parameters in prior year and current year.

In case of service company, the service company shall introduce systems and checks to ensure that delegated powers, in respect of syndicates they represent, are exercised prudently and judiciously by the authorized officials and has no adverse fallout on the operation of the service company in India. Lloyd's and Lloyd's India shall also review the delegated powers of functionaries at every service company and syndicate level as regards adequacy of such powers to meet local operational requirements and the delegated authority. A copy of such review shall be filed with the Authority annually along with the parameters in prior year and current year.

(10) Governance and oversight: The applicant and/or the Branch office of foreign reinsurer shall review all control returns including the system of periodical reviews submitted by the Branch office of foreign reinsurer to ensure effective governance and oversight and to monitor their continued viability. A copy of synopsis of the findings of the inspection / audit / scrutiny and compliance submitted by the branch and put up to the Audit Committee of the Board, shall also be made available to the Authority, if required.

Explanation: For the purpose of removal of doubt, for the Branch office of foreign reinsurer other than Service Companies, reference to Audit Committee of the Board herein shall mean reference to the Executive Committee of Management. Further, for Service Companies, reference to Audit Committee of the Board shall mean reference to the Board of the Service Company itself.

(11) Reporting Requirements:

(a) Every Branch office of foreign reinsurer shall immediately report to the Authority more than five percent erosion in the Net Owned Fund of the applicant.

(b) Every Branch office of foreign reinsurer shall comply with such reporting requirements, as may be specified by the Competent Authority.

(c) Every Branch office of foreign reinsurer shall submit to the Authority the following reports.

(i) Financial and Actuarial reporting as envisaged in Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of insurers) Regulations, 2024.

(ii) Downgrading Reporting: The Branch office of foreign reinsurer shall immediately report along-with relevant documents to the Authority any downgrade in rating of parent by any internationally renowned credit rating agency.

(iii) Report on outsourced activities/ functions with details of the function(s) outsourced and the entity to whom it is outsourced. The relationship with the branch, whether parent entity/ any other group entity shall also be disclosed.

(12) Every Branch office of foreign reinsurer shall put in place appropriate policy, approved by their Executive Committee of the Management, on maintenance of records and destruction of old records, both physical and electronic form, considering the nature, importance, business needs and other applicable legal and regulatory requirements.

(13) In addition to the provisions specified under these Regulations, the Authority may specify separate corporate governance and public disclosure requirements for Branches office of foreign reinsurers.

(14) Investments: Every branch office of foreign reinsurer shall invest and keep invested its assets in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of insurers) Regulations, 2024 as amended from time to time.

(15) Other issues: The Branch office of foreign reinsurer shall, with respect to its applicant, immediately report to the Authority any regulatory or supervisory action taken by the home country regulator with full details and the penalty or administrative action, if any imposed and the remedial steps taken by the foreign reinsurer to prevent its recurrence.

Provided that in case of Lloyd's India, it shall immediately report to the Authority any regulatory or supervisory action taken by the home country regulator against Lloyds or its Syndicate, Managing Agent or Service Company with full details and the penalty, any administrative action, if any imposed and the remedial steps taken by Lloyd's to prevent its recurrence.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

31. Powers of the Authority:

(1) The Authority shall have the right to call, inspect or investigate any document, record or communication from Branch office of foreign reinsurer.

(2) Notwithstanding the above, where the Authority is of the opinion that the operations of the Branch office of foreign reinsurer India are not in the interests of the Indian market, the Authority reserves the right to take appropriate steps including suspension or cancellation of certificate of registration after giving an opportunity of being heard. Branch office of foreign reinsurer opened with the approval of the Authority shall be closed only with the prior approval of the Authority.

(3) The Authority or Competent Authority may call for further information or explanation, as may be necessary, on all matters related to reinsurance business and may direct the Indian insurer to carry out necessary changes in the reinsurance programme filed with the Authority.

32. Powers to issue Circulars, Guidelines and Directions from time to time

The Competent Authority may issue circulars, guidelines and directions, if necessary, from time to time, relating to these regulations including, but not limited to, transitory provisions regarding implementation process of these regulations.

33. Power to remove difficulties and issue clarifications:

In order to remove any doubts or difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Competent Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

34. Repeal and Savings:

(1) These Regulations shall repeal the following Regulations from the date these Regulations come into force:

(a) IRDAI (Lloyd's India) Regulations, 2016

(b) IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015

(2) Unless otherwise provided by these Regulations, nothing in these Regulations shall deem to invalidate the contracts entered into prior to these Regulations coming into force.

(3) Unless otherwise provided by these Regulations, anything done or any action taken or purported to have been done or taken in respect of these Regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Regulations.

DEBASISH PANDA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./861/2023-24]

Schedule I: Assessment of Fit & Proper Criteria

The Competent Authority or the Authority, as the case may be, shall take into account such matters as may be considered relevant while considering the application for registration of Applicant and its continuation, including**:**

(1) the general track record of conduct and performance of the applicant in the fields of business or profession they are engaged in;

(2) the record of conduct and performance of the directors and persons in management of the applicant;

(3) the capital structure of the applicant, its promoters and shareholders;

(4) ability to infuse capital to meet business, solvency and regulatory requirements;

(5) the underwriting function that is transferred to the Branch office of foreign reinsurer;

(6) compliance with all applicable laws in India including Prevention of Money Laundering Act, FEMA and taxation law; and

(7) any other relevant matters for carrying out the provisions of the Act.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.23 15:21:25 +05'30'